हरिद्वार विकास प्राधिकरण, हरिद्वार

की

33वीं बोर्ड बैठक दि० 15-6-2001

का एजेण्डा

समय: प्रात: 11.00 बजे

स्थान :- प्राधिकरण सभागार

(1/क)

Scanned by CamScanner

हरिद्वार विकास प्राधिकरण, हरिद्वार

की

33वीं बोर्ड बैठक दि0 15-6-2001

का एजेण्डा

समयः प्रातः 11.00 बजे

स्थानः प्राधिकरण सभागार

Scanned by CamScanner

अनुक्रमणिका

क्र.सं0	विषय	पृष्ठ सं0
1	विगत बोर्ड बैठक दि0 21-12-99 की कार्यवाही की पुष्टि एवं क्रियान्वयन	1 से 17
2	विगत बोर्ड बैठक दि0 29-2-2000 की कार्यवाही की पुष्टि (परिचालन विधि से) एवं क्रियान्वयन ।	18
3	विगत बोर्ड बैठक दि0 31-3-2000 की कार्यवाही की पुष्टि एवं क्रियान्वयन।	19 से 26
4	विगत बोर्ड बैठक दि0 25-5-2000 की कार्यवाही की पुष्टि (परिचालन विधि) एवं क्रियान्वयन ।	27
5	प्राधिकरण की 33वीं बोर्ड बैठक हेतु एजेण्डा मद	28 से
5(1)	हरिद्वार विकास प्राधिकरण के वर्ष 2000-01 का पुनरीक्षित/वास्तविक एवं वर्ष 2001-02 के प्रस्तावित आय-व्ययक के सम्बन्ध में।	28 से 34
5(2)	हरिलोक आवासीय योजना भाग-2 हेतु 100 हेक्टेयर भूमि के अधिग्रहण के सम्बन्ध में।	35
5(3)	बी.एच.ई.एल. की निष्प्रोज्य भूमि में से 400 एकड़ भूमि पर आवासीय योजना ।	35
5(4)	ट्रांसपोर्ट नगर हरिद्वार हेतु 11 से बढ़ाकर 15 हेक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में।	35
5(5)	ऋषिकेश ट्रांसपोर्ट नगर हेतु भूमि अधिग्रहण के सम्बन्ध में।	36
5(6)	हरिद्वार महायोजना के सर्वेक्षण (एम.डी.डी.ए.पैटर्न) के सम्बन्ध में।	36 से 38
5(7)	मण्डप/वेडिंग प्वाइन्ट के निर्माण मानकों के सम्बन्ध में।	38
5(8)	केन्द्रीय जल आयोग को रू0 8.86 लाख के ब्याज की छूट के सम्बन्ध में।	38
5(9)	प्राधिकरण की योजनाओं में व्यावसायिक/आश्रम सम्पत्तियों के निस्तारण के सम्बन्ध में।	39
5(10)	आई.ओ.सी.पेट्रोल पम्प के विचाराधीन वाद सं0-552/99-2000 के शमन के सम्बन्ध में।	39 से 40
5(11)	ऋषिकेश माडर्न स्कूल ढालवाला के मानचित्र सं0-145/99-2000 की स्वीकृति की पुष्टि के सम्बन्ध में।	40
5(12)	हरिद्वार-देवपुरा-होटल के मानचित्र सं0-265/2000-01 के अनुमोदन की पुष्टि के सम्बन्ध में।	40
5(13)	दूरसंचार केन्द्र देहरादून के विचाराधीन वाद सं0-(नो0ऋषि0)-6/96-97 एवं नो-ऋषि-21/94-95 में शमन शुल्क की छूट के सम्बन्ध में।	41
5(14)	औ0क्षेत्र बहादराबाद में यू.पी.एस.आई.डी.सी. द्वारा विकसित आवासीय योजना के तलपट मानचित्र की स्वीकृति में विकास एवं अन्य शुल्क निगम से न लेने के सम्बन्ध में।	41
5(15)	हर की पैड़ी पर लिफ्ट की योजना ।	42
5(16)	प्राधिकरण के सम्पत्ति अनुभाग एवं लेखानुभाग का कम्प्यूटरीकरण कराया जाना ।	43

Scanned by CamScanner

प्राधिकरण की बैठक दि0 21-12-99 की कार्यवाही की पुष्टि एवं क्रियान्वयन

(113)

Scanned by CamScanner

मद सं0-33.1

विषयः विगत बोर्ड बैठक दि0 21-12-99 की कार्यवाही की पुष्टि ।

प्राधिकरण की विगत बोर्ड बैठक दि0 21-12-99 को सम्पन्न हुई थी।बैठक की कार्यवाही प्राधिकरण के सभी माननीय सदस्यों एवं पदाधिकारियों को प्रेषित की जा चुकी है। किसी भी सदस्य/पदाधिकारी द्वारा कार्यवाही के सम्बन्ध में कोई आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत नही किया गया है। कार्यवाही की पुष्टि प्रस्तावित है।

मद सं0-33.2

विषयः विगत बोर्ड बैठक दि0 21-12-99 में लिये गये निर्णयों का क्रियान्वयन ।

क्र.सं0	विषय	निर्णय	अनुपालन
1.	ऋषिकेश-मुनिकीरेती क्षेत्र की महायोजना की आपत्ति/सुझाव पर सुनवाई।	ऋषिकेश-मुनिकीरेती महायोजना का प्रारूप सहयुक्त नियोजक द्वारा बैठक में प्रस्तुत किया गया प्राधिकरण द्वारा इन पर सहमति व्यक्त करते हुए यह निर्णय लिया गया कि इस महायोजना को शासन के अनुमोदनार्थ भेजा जाय। चर्चा के दौरान यह बिन्दु उठाया गया कि ऋषिकेश में परगनाधिकारी के न्यायालय में मुकदमें लम्बित होने के कारण मानचित्रों की स्वीकृति में कठिनाई आ रही है, अतः प्राधिकरण द्वारा अपेक्षा की गयी कि आयुक्त, गढ़वाल मण्डल को इस सन्दर्भ में एक पत्र भेजा जाय कि सम्बन्धित परगनाधिकारी को उपरोक्त मुकदमों का शीघ्र निस्तारण करने के लिए निर्देशित करने का कष्ट करें।	ऋषिकेश-मुनिकीरेती महायोजना के सम्बन्ध में उ0प्र0शास द्वारा जारी शासनादेश सं0-591/9-आ-3-2000-2महा0/97 दि0 11-8-2000 के अन्तर्गत ऋषिकेश महायोजना शासन द्वारा अनुमोदित कर दी गयी है। जो कि दि0 27-8-2000 से प्रभावी है।
2.	ऋषिकेश ट्रांसपोर्ट नगर की	ऋषिकेश में ट्रान्सपोर्ट नगर की स्थापना हेतु सहयुक्त	ऋषिकेश महायोजना में ग्राम

Scanned by CamScanner

हरिद्वार विकास प्राधिकरण की 33 वीं बैठक दि0 15-6-2001 का कार्यवृत्त

प्राधिकरण की 33 वीं बोर्ड बैठक दि0 15-6-2001 को अध्यक्ष/आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, देहरादून की अध्यक्षता में हरिद्वार विकास प्राधिकरण के सभागार में आयोजित की गयी। बैठक में उपस्थिति निम्नवत रही-

1	श्री सुभाष कुमार, आयुक्त, गढवाल मण्डल, देहरादून ।	अध्यक्ष
2	डा0दिलबाग सिंह, उपाध्यक्ष, हरिद्वार विकास प्राधिकरण ।	उपाध्यक्ष
3	श्री हरीशचन्द्र जोशी, जिलाधिकारी, हरिद्वार ।	पदेन सदस्य
4	श्री बृज बी0 रतन, प्रभारी अधिकारी नगर एवं ग्राम नियोजक उत्तरॉचल, देहरादून ।	पदेन सदस्य
5	श्री राममूर्ति वीर	गैर सरकारी सदस्य
6	श्री संजय सहगल	गैर सरकारी सदस्य
7	श्री सुरेश चन्द्र शर्मा	गैर सरकारी सदस्य
8	श्रीमती स्नेहलता शर्मा, अध्यक्षा, नगरपलिका ऋषिकेश	पदेन सदस्य
9	श्री उत्तम सिंह, राणा, अध्यक्ष, नगरपंचायत मुनिकीरेती	पदेन सदस्य

सर्वप्रथम विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष द्वारा बोर्ड के सभी सदस्यों का स्वागत किया गया। नवसृजित उत्तरॉचल राज्य में प्राधिकरण बोर्ड की 33 वीं पहली बैठक में उपाध्यक्ष द्वारा सभी सदस्यों का आभार व्यक्त किया गया है तथा अध्यक्ष/आयुक्त महोदय की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी, जिसका विवरण निम्नवत है-

मद सं0-33.1: विगत बोर्ड बैठक दि0 21-12-99 की कार्यवाही की पुष्टि

प्राधिकरण की विगत बोर्ड बैठक दि0 21-12-99 को सम्पन्न हुई थी। बैठक की कार्यवाही प्राधिकरण के सभी सदस्यों एवं पदाधिकारियों को प्रेषित की जा चुकी है। किसी भी सदस्य/पदाधिकारी द्वारा कार्यवाही के सम्बन्ध में कोई आपत्ति/सुझाव प्रेषित नही किया गया है, अतः सर्वसम्मति से विगत बैठक दि0 21-12-99 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।

Secretary 20/6/2001 Vice Chairman Chairman/Commissoner

Scanned by CamScanner

	भूमि क्रय के सम्बन्ध में।	नियोजक मेरठ द्वारा ऋषिकेश महायोजना में स्थल निर्धारित कर दिया गया है।	गुमानीवाला में 15 हेक्टेयर भूमि आरक्षित कर दी गयी है तथा रूड़की विश्वविद्यालय द्वारा ट्रांसपोर्ट नगर योजना की एक फिजीविल्टी रिपोर्ट तैयार कर दि0 20-6-200 को प्राधिकरण को प्रस्तुत की जानी है।
3.	आडीटोरियम के निर्माण के सम्बन्ध में।	इस सम्बन्ध में अवगत कराया गया है कि निविदायें आमन्त्रित की जा चुकी है।	आडीटोरियम के निर्माण को उ.प्र.रा.निर्माण निगम के माध्यम से कराया जा रहा है, जिसके डोम सहित अन्य फिन्सिंग कार्य प्रगति पर है। कार्य 15 अगस्त 20001 तक पूर्ण कराये जाने के निर्देश दिये गये है।
4.	आश्रय योजना के सम्बन्ध में।	आश्रय योजना के सम्बन्ध में उपाध्यक्ष द्वारा अवगत कराया गया कि विगत वर्ष में नगरपालिका द्वारा आश्रय विहीन व्यक्तियों की सूची एवं भूमि दोनों उपलब्ध नही करायी गयी जिसकारण प्राधिकरण द्वारा सीधे प्रार्थना पत्र संकलित करने पडे तथा वोर्ड की अनुमति से प्राधिकरण ने अपनी आवासीय योजना में ही आश्रय योजना से सम्बन्धित भवनों का निर्माण कार्य किया गया । वोर्ड द्वारा नगरपालिका से अपेक्षा की गयी कि इस वित्तीय वर्ष हेतु ऐसे व्यक्तियों की सूची प्राधिकरण को उपलब्ध करायी जाय जो	विगत वर्ष में आश्रय योजना भूमि की उपलब्धतता के आधार पर 18 आवास बनाये गये थे, जिन्हें प्राप्त सूची के आधार पर आंवटित किये जा चुके है।

Scanned by CamScanner

मद सं0-33.2: विगत बोर्ड बैठक दि0 21-12-99 में लिये गये निर्णयों का क्रियान्वयन

विगत बैठक के निर्णयों के क्रियान्वयन/अनुपालन के सम्बन्ध में अनुपालन आख्या प्रस्तुत की गयी। अनुपालन से सहमत होते हुये सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिये गये:-

(1) ऋषिकेश-मुनिकीरेती क्षेत्र की महायोजना की आपत्ति/सुझाव पर सुनवाई ।

अनुपालन से सहमति के साथ यह मद एजेण्डा से समाप्त किया जाता है।

(2) ऋषिकेश ट्रांसपोर्ट नगर की भूमि क्रय के सम्बन्ध में ।

फिजीबिल्टी रिपोर्ट दि0 20-6-2001 तक आने के बाद भूमि क्रय सम्बन्धी कार्यवाही पर बोर्ड द्वारा सहमति दी गयी।

(3) आडीटोरियम के निर्माण के सम्बन्ध में ।

निर्माण कार्य दि0 15-8-2001 तक पूर्ण करने के निर्देश अध्यक्ष महोदय द्वारा दिये जाने के साथ मद एजेण्डा से समाप्त किया जाता है।

(4) आश्रय योजना के सम्बन्ध में ।

आश्रय योजना के सम्बन्ध में अनुपालन से सहमति के साथ यह मद एजेण्डा से समाप्त किया जाता है।

(5) हरिद्वार विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र में गंगा नदी के तट से दोनों ओर 200 मीटर तक के शमन प्रकरणों पर विचार ।

माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में अध्यक्ष/आयुक्त, ह.वि.प्रा. द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में शासनादेश दि0 23-9-98 जारी होने की तिथि तक जो निर्माण हो चुके थे उन्हें शमनित कर दिया जाय। शासन के आदेश जारी होने के पश्चात हुये निर्माणों को शमन नहीं किये जायेगें। यह भी निर्णय हुआ कि उ.प्र. शासन के तीनों

Secretary 20/9/2001 Vice Chairman Chairman/Commissoner

Scanned by CamScanner

पालिका की भूमि पर अतिक्रमण किये गये हों तथा स्वास्थ्य की दृष्टि से अत्यन्त हानिकारक माहौल में रह रहे हैं, यह भी निर्णय लिया गया कि पालिका इस हेतु प्राधिकरण को भूमि उपलब्ध करायें तथा यदि आवश्यक हुआ तो प्राधिकरण इस भूमि के लिए शासन द्वारा जो न्यूनतम मूल्य निर्धारित है वह नगरपालिका को करेगा।

5. हरिद्वार विकास प्राधिकरण क्र विकास क्षेत्र में गंगा नदी क्र तट से दोनों ओर 200 मीटर तक के शमन प्रकरणों पर विचार ।

प्राधिकरण के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया कि शासन तथा उच्च न्यायालय के ऐसे आदेश हैं कि गंगा के तट से 200 मी0 की दूरी तक किसी भी प्रकार की निर्माण गति-विधियों अनुमन्य न की जाय. किन्तु स्वैच्छिक शमन योजना के अन्तर्गत इस प्रकार के प्रकरण प्रकाश में आये हैं। जिनमें गंगा तट में 200 मी0 के अन्दर के क्षेत्र में कुछ व्यक्तियों द्वारा निर्माण करा लिया गया है एवं स्वैच्छिक शमन योजना के अन्तर्गत शमन हेतु प्रार्थना पत्र दिया गया है। सम्यक् विचारोपरान्त निम्न निर्णय लिये गये :-

क. गंगा नदी से 200 मीटर की दूरी तक निर्माण प्रतिबन्धित करने का शासनादेश जिस तिथि को प्राप्त हुआ है उस तिथि से पूर्व जो निर्माण हो चुके हैं, ऐसे निर्माणों का शमन कर दिया जाय।

ख. यह भी आकलन कर लिया जाय कि ऐसे कितने निर्माण हैं, जो शासनादेश प्राप्त होने की तिथि से पहले हो चुके हैं, किन्तु सम्बन्धित व्यक्तियों द्वारा उनके शमन हेतु आवेदन ही नहीं किया गया है। ऐसे व्यक्तियों से आवेदन प्राप्त करके उन अवैध निर्माणों

गंगा नदी से 200 मी0 के भीतर शासनादेश से पूर्व हुए निर्माणों को शमन किया जा रहा है।
(सूची संलग्नक-) पर है।

Scanned by CamScanner

शासनादेशों को उत्तरांचल शासन को सन्दर्भित किया जाय।

(6) उमा महेश्वर परमार्थ ट्रस्ट हेतु भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में।

अनुपालन से सहमति के साथ यह मद एजेण्डा से समाप्त किया जाता है।

(7) विकास प्राधिकरण (अपराधों का शमन) संशोधन उपविधि 98 (स्वैच्छिक शमन उपविधि) के सम्बन्ध में।

अनुपालन से सहमति के साथ यह मद एजेण्डा से समाप्त किया जाता है।

(8) विकास प्राधिकरण की सम्पत्तियों की कोस्टिंग के लिए आदर्श मार्ग दर्शक सिद्धान्त (गाइड लाइन) लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

अनुपालन से सहमति के साथ यह मद एजेण्डा से समाप्त किया जाता है।

(9) ले0कर्नल आर.सी.कुकरेती के मुनिकीरेती स्थित भूखण्ड पर निर्माण की अनुज्ञा के सम्बन्ध में।

अनुपालन से सहमति के साथ यह मद एजेण्डा से समाप्त किया जाता है।

(10) पं0 ललित मोहन शर्मा, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय का ऋषिकेश का मानचित्र की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

अनुपालन से सहमति के साथ यह मद एजेण्डा से समाप्त किया जाता है।

(11) सेन्ट्रल वाटर कमीशन, गंगा डिवीजन, हरिद्वार के कार्यालय मानचित्र विषयक ।

अनुपालन से सहमति के साथ यह मद एजेण्डा से समाप्त किया जाता है।

Secretary Vice Chairman Chairman/Commissoner

Scanned by CamScanner

गया कि जिलामजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना ऐसा निर्माण किया जाना अनुचित होगा। यदि यह इंगित किया गया कि पूरे भू-भाग के केवल 5 प्रतिशत क्षेत्रफल पर ही शासन स्तर से मन्दिर निर्माण की अनुमति दिये जाने का निर्णय लिया गया है तथापि प्राधिकरण के कई सदस्यों द्वारा यह आशंका व्यक्त की गयी कि इससे मेला भूमि पर निर्माण की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलेगा, अतः प्राधिकरण द्वारा इस प्रस्ताव से असहमति व्यक्त की गयी तथा प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया।

7.	विकास प्राधिकरण(अपराधों का शमन) संशोधन उपविधि 1998 (स्वैच्छिक शमन उपविधि) में आवश्यक परिष्कार ।	शासनादेश सं0-4167/9-आ-1-98 दि0 29-10-98 द्वारा विकास प्राधिकरण(अपराधों का शमन) द्वितीय संशोधन उपविधि1998 को हरिद्वार विकास प्राधिकरण की 27वीं विशेष बोर्ड बैठक दि0 11-12-98 में अंगीकृत कर शासन को राजकीय गजट में प्रकाशन हेतु प्रेषित किया गया तथा उक्त उपविधि दि0 1-1-99 से 28-2-99 तक दो माह के लिए लागू की गयी। तदोपरान्त शासनादेश सं0-460/9-आ-1-99-120/विविध/98 दि0 3-2-99 द्वारा रू0 1000.00 के समायोजन योग्य धनराशि के साथ उक्त योजना एक माह की अवधि बढ़ाते हुए दि0 31-3-99 तक के लिए इसे पुनः लागू किया गया। उक्त के क्रम में पुनः शासनादेश सं0-3015/9-आ-1-1999-120/विविध/98 दि0 30-6-99 के अनुसार उक्त योजना की समय सीमा एक माह के बिलम्ब शुल्क के साथ बढाये जाने हेतु प्राप्त हुआ।	प्राधिकरण बोर्ड के निर्णय के अनुपालन में यह योजना पुनः दि0 1-3-2000 से 15-3-2000 तक लागू की गयी।

Scanned by CamScanner

		उक्त शासनादेश के अनुपालन में उक्त योजना दि0 16-8-99 से 31-8-99 तक पुनः लागू की गयी इस प्रकार यह योजना अभी 15 दिन की अवधि हेतु पुनः लागू की जा सकती है। सम्बन्धित शासनादेश बोर्ड बैठक द्वारा अंगीकृत किये गये तथा निर्णय लिया गया कि उपाध्यक्ष अपने विवेकानुसार इसे पुनः 15 दिन के लिए लागू कर सकते हैं।	
8.	विकास प्राधिकरण की सम्पत्तियों की कोस्टिंग के लिए आदर्श मार्ग दर्शक सिद्धान्त(गाइड लाइन) लागू किये जाने के सम्बन्ध में।	शासनादेश सं0-4049/9-आ-1-99/16/समिति/98 दि0 20-10-99 के अनुसार विकास प्राधिकरणों एवं आवास विकास परिषद की परिसम्पत्तियों की कोस्टिंग के लिए आदर्श मार्गदर्शक सिद्धान्त(गाइड लाइन) प्राप्त हुए हैं। जिसे कि समस्त प्राधिकरणों में परिसम्पत्तियों के मूल्यां कन के सम्बन्ध में एकरूपता बनी रहे। प्राधिकरण द्वारा उक्त शासनादेश में उल्लिखित आदर्श मार्ग दर्शक सिद्धान्त(गाइड लाइन) अंगीकृत किये गये।	निर्णय के अनुपालन में लागू किया जा रहा है।
9.	ले0कर्नल आर0सी0कुकरेती के मुनिकीरेती स्थित भूखण्ड पर निर्माण की अनुज्ञा के सम्बन्ध में।	ले0कर्नल आर0सी0कुकरेती की भूमि जिसका क्षेत्रफल 0.067 हेक्टेयर ग्राम घुगत्याणी तल्ली तहसील नरेन्द्र नगर जिला टिहरी गढ़वाल जो तपोवन से आगे बद्री नाथ मार्ग के दायीं ओर गंगा की तरफ स्थित है। प्राधिकरण बोर्ड के निर्णय द्वारा तपोवन से आगे बद्री नाथ मार्ग एवं गंगा के बीच भूखण्डों पर इस प्रतिबन्ध के साथ मानचित्र स्वीकृत किये जा रहे हैं कि भवन का शिखर बिन्दु सड़क के लेबल से नीचे रहे परन्तु प्रश्नगत भूखण्ड का लेबल सड़क के बराबर हैं, अतः निर्माण अनुमन्य नही किया गया। भूमि की दूरी गंगा	निर्णय के अनुपालन में प्राधिकण द्वारा ले0कर्नल श्री आर0सी0 कुकेरती को इस कार्यालय के पत्र सं0-3489 दि0 9-3-2000 के माध्यम से निर्णय से अवगत कराया गया।

Scanned by CamScanner

		नदी से लगभग 500 मी0 से भी अधिक है। अत: निर्माण की अनुमति देने के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ रखा गया। प्राधिकरण द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त उक्त मानचित्र हेतु विशेष परिस्थितियों में स्वीकृति प्रदान की गयी।	
10.	पं0ललित मोहन शर्मा, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय का ऋषिकेश का मानचित्र की स्वीकृति के सम्बन्ध में।	प्राचार्य पं0 ललित मोहन शर्मा स्नातकोत्तर महाविद्यालय ऋषिकेश का मानचित्र सं0-56/98-99 प्राधिकरण में दि0 18-7-99 को स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया था। दि0 3-8-99 को सूचित आपत्तियों का निराकरण न करने के कारण दि0 13-8-99 को मानचित्र अस्वीकृत कर दिया गया है। आपत्तियाँ मुख्य रूप से विभिन्न विभागों के अनापत्ति प्रमाण-पत्र से सम्बन्धित थी। प्रश्नगत स्थल गंगा नदी से 200 मी0 के अन्दर स्थित है। शासनादेश सं0-2810/9-आ-1-98 दि0 23-9-98 को प्रभावी होने से पूर्व जिलाधिकारी, देहरादून से अनापत्ति शेष थी, जो दि0 24-1-99 में जारी कर दी गयी थी, चूँकि आवेदक राजकीय संस्था है ओर मानचित्र शासनादेश जारी होने से पूर्व जमा किया जा चुका था, अत: मानचित्र स्वीकृति हेतु प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। प्राधिकरण द्वारा इस आधार पर मानचित्र की स्वीकृति प्रदान की गयी कि उक्त मानचित्र शासनादेश से पूर्व ही प्रस्तुत किया जा चुका था।	निर्णय के अनुपालन में प्राधिकरण द्वारा दि0 27-11-2000 को मानचित्र स्वीकृत कर दिया गया।
11.	सेन्ट्रल वाटर कमीशन, गंगा	सेन्ट्रल वाटर कमीशन, हिमालयन गंगा डिवीजन, भारत	प्राधिकरण बोर्ड बैठक के

Scanned by CamScanner

डिवीजन, हरिद्वार के कार्यालय मानचित्र विषयक।	सरकार द्वारा स्वीकृति हेतु प्राधिकरण कार्यालय में मानचित्र प्रस्तुत किये गये हैं। मानचित्र ''कार्यालय भवन'' उपयोग हेतु प्रस्तावित है। यह स्थल नगर महायोजना में आवासीय आर-2 भू-उपयोग के अन्तर्गत प्रदर्शित है तथा लालजीवाला क्षेत्र में ठीक गंगा बैराज के किनारे स्थित है। महायोजना के प्रखण्डीय विनियमों के अनुसार आवासीय भू-उपयोग में कार्यालय प्रयोग की अनुमति सिर्फ प्राधिकरण बोर्ड तथा उ0प्र0शासन द्वारा भी प्रदान की जा सकती है तथा इस परिस्थिति में भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क में आवेदक द्वारा देय होता है। यह भी उल्लेखनीय है कि इस क्षेत्र में सिंचाई विभाग/ विद्युत विभाग के कार्यालय/आवासीय भवन निर्मित हैं। आवेदक भारत सरकार का प्रतिष्ठान है एवं बाढ़ नियन्त्रण जैसी महत्वपूर्ण इकाई है तथा इसका कार्यालय नदी तट पर स्थित रहना आवश्यक है। इस प्रकरण में आवेदक द्वारा ''भू-उपयोग शुल्क रू0 4.50 लाख'' देय होगा। आवेदक के प्रार्थना पर अध्यक्ष महोदय के अनुमोदन दि0 17-10-98 के क्रम में मानचित्र की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है। आवेदक द्वारा भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क में छूट प्रदान करने की प्रार्थना की जा रही है। प्राधिकरण द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि इस प्रकरण को शासन को निर्णयार्थ सन्दर्भित कर दिया जाय।	निर्णय के अनुपालन में शासन को इस कार्यालय के पत्र सं0 3311 दि0 9-2-2001 द्वारा प्रकरण सन्दर्भित कर दिया गया है।
12. भवन उपविधि के सम्बन्ध में।	**अ. शारीरिक रूप से अशक्त व्यक्तियों को सुविधायें प्रदान करने हेतु मानक भवन उपविधि**	निर्णयानुसार कार्यवाही की जा रही है।

Scanned by CamScanner

(12) भवन उपविधि के सम्बन्ध में ।

अनुपालन से सहमति के साथ यह मद एजेण्डा से समाप्त किया जाता है।

(13) ग्राम हरिपुर कलाँ जिला देहरादून के खसरा नं0-781, 784, 340 नया गाटा सं0-785(क) के भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में।

वन विभाग से अनापत्ति प्राप्त होने के पश्चात् अन्य कार्यवाही की जायेगी तथा समिति में सहयुक्त नियोजक, मेरठ के स्थान पर सहयुक्त नियोजक, गढ़वाल, देहरादून को शामिल किया जाय निर्णय हुआ कि अनाधिकृत निर्माण के सम्बन्ध में कार्यवाही करने हेतु संस्था को नोटिस भेजा जाय।

(14) हरिद्वार महायोजना 1985-2001 हरिद्वार विकास क्षेत्र भाग-अ के सम्बन्ध में ।

अनुपालन से सहमति के साथ यह मद एजेण्डा से समाप्त किया जाता है।

(15) सुदृढ़ीकरण शुल्क के सम्बन्ध में ।

निर्णय हुआ कि विकास शुल्क ही लिया जाय तथा मद एजेण्डा से समाप्त किया जाता है।

(16) अन्तर्राष्ट्रीय बस अड्डा (आई.एस.बी.टी) स्थापित करने के सम्बन्ध में ।

निर्णय हुआ कि सचिव, ह.वि.प्रा. की अध्यक्षता में स्थल निरीक्षण हेतु नगर नियोजक, अधिशासी अभियन्ता, ह.वि.प्रा. स्थल के सम्बन्ध में सभी पहलुओं पर गहनता से अध्ययन करते हुए अपनी रिपोर्ट आगामी बैठक में प्रस्तुत करेंगे।

(17) हरिद्वार में ट्रांसपोर्ट नगर स्थापित करने के सम्बन्ध में ।

अनुपालन से सहमति के साथ यह मद एजेण्डा से समाप्त किया जाता है।

Secretary Vice Chairman Chairman/Commissoner

Scanned by CamScanner

लागू किया जाना

शासनादेश सं0-4780/9-आ-1-99 दि0 12-10-99 द्वारा उपरोक्त भवन उपविधियों इस निर्देश के साथ प्राप्त हुई है कि उन्हें प्राधिकरण की विद्यमान भवन उपविधियों में समाविष्ट करते हुए प्राधिकरण बोर्ड में प्रस्तुत कर अंगीकृत/अनुमोदित कर शासन को सूचित कर दिया जाय। तदोनुसार प्रस्ताव प्राधिकरण के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया। प्राधिकरण द्वारा उपरोक्त उपविधियों को अंगीकृत किया गया।

ब. आदर्श भवन उपविधि प्रारूप विषयक

वर्तमान में प्राधिकरण की प्रचलित भवन उपविधियों के अनुसार आवासीय भवन मानचित्र स्वीकृत करने हेतु न्यूनतम भूखण्ड क्षेत्रफल 80 वर्ग मीटर निर्धारित है, हरिद्वार नगर में भूमि की अनुपलब्धतता तथा उच्च भूमि दरों के कारण प्राय: 80 वर्गमी0 से भी छोटे-छोटे भूखण्ड जन साधारण द्वारा क्रय किये जाते है, परन्तु ऐसे मानचित्रों पर नियमानुसार स्वीकृति दिया जाना सम्भव नही हो पा रहा है। शासनादेश सं0-3049/9-आ-1-99 दि0 25-6-99 द्वारा प्राधिकरण भवन उपविधियों में संशोधन हेतु आदर्श भवन उप-विधि 1999 प्रारूप सुझाव/आपत्ति हेतु प्राप्त हुए हैं। इस उपविधि के अध्याय-3 भाग-2 में आवासीय प्रयोजन हेतु भूखण्ड के क्षेत्रफल की न्यूनतम अनिवार्यता 40 वर्ग मी0 प्रस्तावित की गयी है।

इस भवन उपविधि को प्राधिकरण द्वारा अन्तिम रूप से स्वीकार कर अंगीकृत किये जाने तक

निर्णयानुसार कार्यवाही की जा रही है।

Scanned by CamScanner

न्यूनतम भूखण्ड क्षेत्रफल 80 वर्ग मी0 के स्थान पर 40 वर्ग मी0 पर मानचित्र स्वीकृत किये जाने का प्राधिकार अध्यक्ष महोदय के अनुमोदन दि0 24-7-99 द्वारा लागू कर दिया गया है। प्राधिकरण द्वारा इस सम्बन्ध में अनुमोदन प्रदान किया गया।

13.	ग्राम हरिपुर कलाँ जिला देहरादून के खसरा नं0-781, 784, 340 नया गाटा सं0-785(क) के भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में	ग्राम हरिपुर कलाँ जिला देहरादून के खसरा नं0-781, 784, 340 नया गाटा सं0-785(क) के भू-उपयोग सम्बन्धित प्रकरण पर विचार करने हेतु सचिव,ह.वि.प्रा. की अध्यक्षता में निम्न समिति गठित की गयी- 1. सचिव, ह.वि.प्रा. — अध्यक्ष 2. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक उ0प्र0लखनऊ के प्रतिनिधि — सदस्य 3. जिलाधिकारी, टिहरी-गढवाल द्वारा नामित प्रतिनिधि जो अपर जिलाधिकारी स्तर से कम न हो — सदस्य 4. जिलाधिकारी, पौडी-गढवाल द्वारा नामित प्रतिनिधि जो अपर जिलाधिकारी स्तर से कम न हो — सदस्य 5. जिलाधिकारी, देहरादून द्वारा नामित प्रतिनिधि जो अपर जिलाधिकारी स्तर से कम न हो — सदस्य 6. अध्यक्ष, नगरपालिका ऋषिकेश — सदस्य 7. अध्यक्ष, नगर पंचायत मुनिकीरेती — सदस्य समिति की बैठक दि0 31-5-99 को सम्पन्न हो चुकी है। सहयुक्त नियोजक मेरठ सम्भागीय नियोजन	निर्णय के अनुपालन में वन विभाग को इस कार्यालय के पत्र सं0-3405 दि0 22-2-2000 के माध्यम से अनापत्ति हेतु सन्दर्भित किया जा चुका है। जिसकी प्रति आवेदक को भी पृष्ठांकित की गयी है।

Scanned by CamScanner

खण्ड, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि वर्ष 1985 तक प्रश्नगत स्थल पर केवल कृषि कार्य होता था जैसा कि हरिद्वार नगरीय क्षेत्र वर्तमान भू-उपयोग के मानचित्र से स्पष्ट है । आवेदक द्वारा अपने साक्ष्य में दाखिल किये गये खतौनी की प्रति, (1400 फसली) उक्त भूमि स्कूल, टयूबवैल, खेल का मैदान, गऊशाला, भूसा स्टोर आबादी दर्ज होना पाया जाता है।

प्रश्नगत स्थल का निरीक्षण सहयुक्त नियोजक मेरठ, तथा नगर नियोजक, द्वारा किया गया। स्थल पर कक्षा 10 तक का एक स्कूल विद्यमान है। तथा अवशेष भूमि पर एक टयूबवैल, खेल का मैदान तथा कृषि भूमि उपलब्ध है अतः समिति का मत है कि यदि प्राधिकरण की सहमति हो तो प्रश्नगत भूमि का भू-उपयोग 'पार्क एवं खुला स्थान' से 'सामुदायिक सुविधायें' (विद्यालय) हेतु परिवर्तन करने की संस्तुति सहित प्रस्ताव शासन को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जाय। शासनादेश सं0-1284/9-आ-3-99-73/विविध/ 99 दि0 24-3-99 के अनुसार हरित पट्टी के लिए चिन्हित भूमि का भू-प्रयोग परिवर्तन वन विभाग को अनापत्ति के बिना नहीं किया जा सकता ।

प्राधिकरण द्वारा निम्न शर्तो के साथ प्रस्ताव शासन को भेजे जाने हेतु अनुमति प्रदान की गयी।

क. वन विभाग की 'अनापत्ति' प्राप्त की जाय।

ख. पक्षकार द्वारा भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क जमा कराया जाय।

Scanned by CamScanner

14.	हरिद्वार महायोजना 1985-2001 हरिद्वार विकास क्षेत्र भाग-अ	वर्ष 2001 के उपरान्त नयी महायोजना लागू होने तक वर्तमान महायोजना भी प्रभावी रहेगी। तद्नुसार प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ रखा गया। प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया कि नई महायोजना लागू होने तक वर्तमान महायोजना ही लागू रहेगी।	*इस सम्बन्ध में निर्णय के अनुपालन में आगे एजेण्डा में प्रस्ताव रखा गया है।*
15.	सुदृढीकरण शुल्क के सम्बन्ध में।	शासनादेश सं0-2883 दि0 27-7-98 में निर्देश दिये गये हैं कि प्राधिकरण द्वारा मानचित्र की स्वीकृति के समय लिये गये सुदृढीकरण शुल्क के मद में मद की धनराशि को नगरपालिका को हस्तान्तरित किया जाय। सुदृढीकरण शुल्क लिये जाने की कोई व्यवस्था प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अनुमोदित नही की गयी है। प्राधिकरण द्वारा उपरोक्त शासनादेश अंगीकृत किया गया तथा यह निर्णय लिया गया कि सुदृढीकरण शुल्क की जो धनराशि प्राधिकरण द्वारा स्थानीय निकाय को स्थानान्तरित की जायेगी उसका 10 प्रतिशत संग्रह शुल्क के रूप में प्राधिकरण को देय होगा।	सुदृढीकरण एवं विकास शुल्क में से एक ही मद को लिया जा सकता है। अभी तक विकास शुल्क लिया जा रहा है जिसके अन्तर्गत नगरपालिका द्वारा उपलब्ध करायी गई सूची के अनुसार विकास कार्य कराये जा रहे है, जिसमें पिछले वित्तीय वर्ष में लगभग रू0 75.00 लाख के कार्य कराये गये हैं।
16.	अन्तर्राष्ट्रीय बस अड्डा (आई. एस.बी.टी.) स्थापित करने विषयक ।	इस सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि जब प्रस्ताव को अन्तिम रूप दिया जाय तब प्रस्ताव से सम्बन्धित सभी पहलुओं का गहनता से परीक्षण हो जाय तथा इस विषय पर आयुक्त/अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित करते हुए सभी पहलुओं पर विस्तार से समस्त सम्बन्धित के साथ चर्चा भी कर ली जाय। प्राधिकरण द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि जहाँ पर आई.एस.बी.टी. का निर्माण किया जाय उसमें यात्रियों के लिए सभी सामान्य सुविधायें भी उपलब्ध कराने का	इस सम्बन्ध में एक प्रारम्भिक रिपोर्ट तैयार की गयी है । जिसके अनुसार योजना में लगभग रू0 12.00 करोड़ का व्यय अनुमान है। प्रश्नगत भूमि को प्राधिकरण को हस्तान्तरित किये जाने हेतु तत्कालीन आयुक्त/अध्यक्ष, सहारनपुर मण्डल के पत्र सं0-

Scanned by CamScanner

		अवश्य विचार किया जाय, जिसमें यात्री निवास एवं शॉपिग काम्पलेक्स इत्यादि की सुविधाएँ भी सम्मिलित हो ।	282 दि0 4-5-2001 तथा जिलाधिकारी हरिद्वार के पत्र सं0-939 दि0 5-2-2001 द्वारा शासन से अनुरोध किया गया है।
17.	हरिद्वार में ट्रांसपोर्ट नगर के सम्बन्ध में।	प्राधिकरण द्वारा समुचित विचारोपरान्त ट्रांसपोर्ट नगर के सम्बन्ध में निम्न निर्णय लिये गये- क. ट्रांसपोर्ट नगर की स्थापना के लिए भूमि की उपयुक्तता के सम्बन्ध में एक समिति सचिव, ह.वि.प्रा. की अध्यक्षता में गठित की गयी तथा निर्णय लिया गया कि समिति द्वारा जब स्थल चयन के सम्बन्ध में विचार किया जाय तो ट्रांसपोर्टरों की इस प्रक्रिया में सहभागिता सुनिश्चित की जाय । समिति द्वारा स्थल चयन तथा अन्य आवश्यकताओं के सम्बन्ध में रिपोर्ट उपाध्यक्ष के माध्यम से अध्यक्ष/आयुक्त को प्रस्तुत की जाय तथा इस पर बोर्ड की ओर से अन्तिम निर्णय अध्यक्ष/आयुक्त द्वारा लिया जायेगा। ख. यदि आवश्यकता हो तो इस समिति की राय मद सं0-29-14 में उल्लिखित आई.एस.बी.टी.के सम्बन्ध में प्राप्त की जा सकती है। ग. प्राधिकरण के समक्ष ट्रांसपोर्ट नगर के विषय में संस्थाओं द्वारा जो टैक्नो-इक्नोमिक प्रस्ताव किया गया है उस पर भी समिति द्वारा विचार किया जायेगा तथा समिति द्वारा ही इन संस्थाओं हेतु कन्सल्टेन्सी फीस भी प्रस्तावित की जायेगी।	हरिद्वार महायोजना में नवीन मण्डी के समीप ट्रांसपोर्ट नगर हेतु 15 हेक्टेयर भूमि आरक्षित की गयी है। योजना की एक प्रारम्भिक फिजीबिलिटी रिपोर्ट रूड़की विश्वविद्यालय द्वारा तैयार करा दी गयी है। योजना में लगभग रू0 18.00 करोड़ का व्यय अनुमान है तथा इस सम्बन्ध में भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही की जा रही है।

Scanned by CamScanner

18.	अनाधिकृत कालोनियों के नियमितीकरण के सम्बन्ध में।	नगरीय क्षेत्रों में अनाधिकृत कालोनियों के नियमितीकरण हेतु समय-समय पर शासन द्वारा बल दिया जाता रहा है। इस विषय में प्राधिकरण विकास क्षेत्र में किये गये एक प्रारम्भिक सर्वेक्षण के अनुसार लगभग 30 अनाधिकृत कालोनियों विकसित हैं। उपरोक्त अनाधिकृत कालोनियों के नियमितीकरण हेतु नीति-निर्धारित किये जाने के लिए आगरा विकास प्राधिकरण में लागू नीति तथा मेरठ विकास प्राधिकरण में विचाराधीन नीति का परीक्षण कर प्रस्ताव तैयार कराया गया है जिसका तुलनात्मक विवरण प्राधिकरण के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत करते हुए हरिद्वार विकास क्षेत्र में अनाधिकृत कालोनियों के नियमितीकरण को प्रस्तावना बोर्ड बैठक के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत की गयी। सम्यक् विचारोपरान्त ह.वि.प्रा.द्वारा अनाधिकृत कालोनियों के विनियमितीकरण का जो प्रस्ताव तैयार कराया गया है उसको अनुमोदन प्रदान किया गया तथा यह निर्णय लिया गया कि भविष्य में अवैध कालोनियों के विनियमितीकरण हेतु प्रस्तावित प्रक्रिया ही अपनायी जायेगी। प्राधिकरण द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि अवैध कालोनियों के नियमितीकरण हेतु प्रस्ताव एक समिति द्वारा तैयार किया जायेगा, जिसकी अध्यक्षता सचिव, ह.वि.प्रा., अधि.अभि., ह.वि.प्रा., व.ले.अधि., ह.वि.प्रा. तथा सहयुक्त नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ.प्र.मेरठ होंगे। इस समिति द्वारा प्रत्येक कालोनी के नियमितीकरण का प्रस्ताव उपाध्यक्ष को प्रस्तुत किया जायेगा तथा उपाध्यक्ष द्वारा अध्यक्ष/आयुक्त का अनुमोदन प्राप्त करने	*निर्णय के अनुपालन में लगभग 30 कालोनियों के भौतिक सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है।* (संलग्नग-)

Scanned by CamScanner

(18) अनाधिकृत कालोनियों के नियमितीकरण के सम्बन्ध में ।

श्री राममूर्ति वीर, गैर सरकारी सदस्य द्वारा सुझाव दिया गया कि अनाधिकृत कालोनियों के निर्माण की जिम्मेदारी तय करते हुए संलिप्त अधिकारियों अवर अभियन्तायों से उपाध्यक्ष तक की भूमिकाओं की जाँच की जाय। इस सम्बन्ध में तथ्यात्मक रिपोर्ट दि0 30-6-2001 तक आयुक्त/अध्यक्ष को प्रस्तुत करने हेतु उपरोक्त जाँच सचिव, ह0वि0प्रा0 द्वारा उपाध्यक्ष को शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत की जाय।

(19): जिला पंचायत हरिद्वार की ज्वालापुर स्थित तहसील हरिद्वार के समीप भवन मानचित्र सं0-3(क)मान/हरि/ 474/98-99 की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

अनुपालन से सहमति के साथ यह मद एजेण्डा से समाप्त किया जाता है।

(20) स्वैच्छिक शमन योजनान्तर्गत भू-प्रयोग परिवर्तन से सम्बन्धित प्रकरणों के निस्तारण हेतु निर्धारित प्रक्रिया में स्पष्टीकरण ।

समिति में सहयुक्त नियोजक, मेरठ के स्थान पर सहयुक्त नियोजक, गढवाल, देहरादून को शामिल करते शेष प्रकरणों में अनुस्मारक भेजे जाने का निर्णय हुआ है।

(21) प्राधिकरण अधिवक्ता को अनुबन्ध वेतन वृद्धि पर विचार ।

अनुपालन से सहमति के साथ यह मद एजेण्डा से समाप्त किया जाता है।

(22) प्राधिकरण के आय-व्ययक 1999-2000 की वित्तीय प्रगति एवं आय-व्ययक को पुनरीक्षित किये जाने के सम्बन्ध में।

अनुपालन से सहमति के साथ यह मद एजेण्डा से समाप्त किया जाता है।

(27)

Secretary 28/6/2001 Vice Chairman Chairman/Commissoner

Scanned by CamScanner

		के उपरान्त तद्नुसार ही अवैध कालोनियों के नियमितीकरण की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।	
19.	जिला पंचायत हरिद्वार की ज्वालापुर स्थित तहसील हरि. के समीप भवन मानचित्र सं.-म.यो.-3(क)मान/हरि/474/98-99 की स्वीकृति के सम्बन्ध में।	जिला पंचायत, हरिद्वार द्वारा ज्वालापुर स्थित तहसील, हरिद्वार के समीप पूर्व में निर्मित दुकानों के ऊपर निर्माण कार्य करने हेतु मानचित्र स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया है। स्थल पर भूतल पर पूर्व में दुकानें निर्मित हैं तथा यह 30 मी. महायोजना मार्ग पर स्थित है। जिला परिषद द्वारा पूर्व निर्मित दुकानों के प्रथम तल पर स्टोर निर्माण का भवन मानचित्र स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया है। यह स्थल हरिद्वार महायोजना के राजकीय एवं अर्द्धराजकीय कार्यालय भू-उपयोग के अन्तर्गत प्रदर्शित है। महायोजना के प्रखण्डीय विनियमनों में इस प्रकार के उपयोग का कोई उल्लेख नहीं है। इसके अतिरिक्त आवेदक द्वारा सैट बैंक आदि भी छूट दिये जाने का अनुरोध किया गया है। तद्नुसार प्रकरण प्राधिकरण के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। जिलाधिकारी द्वारा व्यक्त आपत्ति के आधार पर प्राधिकरण द्वारा उक्त मानचित्र को अस्वीकृत किया गया।	निर्णय के अनुपालन में मानचित्र अस्वीकृत कर दिया गया है।
20.	स्वैच्छिक शमन योजनान्तर्गत भू-प्रयोग परिवर्तन से सम्बन्धित प्रकरणों के निस्तारण हेतु निर्धारित प्रक्रिया में स्पष्टीकरण।	उपरोक्त विषयक शासनादेश सं0-6073/9-आ-1-99-120 विविध/98 दि0 7 दिसम्बर 99 प्राप्त हुआ है, जो कि बोर्ड के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया गया। इस शासनादेश मं यह अपेक्षा की गयी है कि उपरोक्त विषयक प्रकरणों में महायोजना में भू-प्रयोग परिवर्तन हेतु बोर्ड द्वारा एक समिति गठित कर दी जाय जो इस प्रकार के प्रकरणों पर विचार कर बोर्ड की ओर	निर्णय के अनुपालन में सम्बन्धित प्रकरणों में सचिव,ह.वि.प्रा.की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा दि0 9-8-2000 को एक बैठक आयोजित की गयी जिसमें सभी प्रकरणों पर गहन अध्ययन किया गया शासनादेश के

Scanned by CamScanner

		से संस्तुति अथवा अन्यथा शासन को उपलब्ध करायें। इस समिति का गठन निम्न प्रकार से प्रस्तावित किया गया। 1.सचिव, ह.वि.प्रा. अध्यक्ष 2.सम्बन्धित जिलाधिकारी के प्रतिनिधि सदस्य जो नगर मजिस्ट्रेट या परगनाधिकारी हो 3.नगर नियोजक, ह.वि.प्रा. सदस्य 4.अधिशासी अभियन्ता,ह.वि.प्रा. सदस्य 5.सहयुक्त नियोजक, मेरठ सदस्य इस प्रकार उक्त समिति को शासनादेश के प्रस्तर-2 के प्राविधान सं0-(।),(।।)व (।।।) हेतु अधिकृत किये जाने हेतु प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया, जिसे प्राधिकरण द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी।	अनुरूप शेष औपचारिकताएँ पूर्ण कराने हेतु सूचित किया गया तथा विचाराधीन 5 प्रकरणों से मात्र 1 प्रकरण में सभी औपचारिकताएँ पूर्ण की गयी तथा यह प्रकरण शासन को विचारार्थ प्रेषित किया जा चुका है।शेष प्रकरण में अनुस्मारक भी भेजे जा चुके है।
21.	प्राधिकरण अधिवक्ता को अनुबन्ध वेतन वृद्धि पर विचार।	प्राधिकरण में अनुबन्ध पर कार्यरत प्राधिकरण अधिवक्ता का वेतन वर्तमान महंगाई के परिपेक्ष्य में कम होने के कारण इनका वेतन रू0 4500.00 से बढ़ाकर रू0 8000.00 करने हेतु प्राधिकरण बोर्ड हेतु विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरण द्वारा अधिवक्ता का पारिश्रमिक बढ़ाकर रू0 6000.00 प्रतिमाह करने का निर्णय लिया गया है।	निर्णयानुसार कार्यवाही की जा रही है।
22.	प्राधिकरण के आय-व्ययक 1999-2000 की वित्तीय प्रगति एवं आय-व्ययक को पुनरीक्षित किये जाने के सम्बन्ध में।	विगत बोर्ड बैठक में चालू वित्तीय वर्ष हेतु कुल रू0 951.00 लाख की आय एवं रू0 902.10 लाख के व्यय का आय-व्ययक स्वीकृत हुआ था। माह नवम्बर 1999 के वास्तविक आय-व्ययक को दृष्टिगत रखते	निर्णयानुसार स्वीकृत बजट लक्ष्यों के अनुसार प्राप्तियाँ एवं भुगतान किये गये। पूर्ण विवरण चालू वित्तीय वर्ष

Scanned by CamScanner

हुए प्राधिकरण के समक्ष आय-व्ययक के कतिपय संशोधन प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किये गये। सम्यक् विचारोपरान्त वर्ष 1999-2000 हेतु पुनरीक्षित आय-व्ययक अनुमोदित किया गया।

के प्रस्तावित आय-व्ययक में प्रस्तुत है।

Scanned by CamScanner

प्राधिकरण की बैठक दि0 29-2-2000 की कार्यवाही की पुष्टि एवं क्रियान्वयन

Scanned by CamScanner

मद सं0-33.3

विषय: विगत बोर्ड बैठक दि0 29-2-2000 की कार्यवाही की पुष्टि।

प्राधिकरण की विगत बोर्ड बैठक दि0 29-2-2000 को परिचालन विधि से सम्पन्न करायी गयी थी, बैठक की कार्यवाही प्राधिकरण के सभी माननीय सदस्यों एवं पदाधिकारियों को प्रेषित की जा चुकी है। किसी भी सदस्य/पदाधिकारी द्वारा कार्यवाही के सम्बन्ध में कोई आपत्ति/सुझाव प्रेषित नही किया गया है। कार्यवाही की पुष्टि प्रस्तावित है।

मद सं0-33.4

विषय: विगत बोर्ड बैठक दि0 29-2-2000 में लिये गये निर्णयों का क्रियान्वयन ।

क्र.सं0	विषय	निर्णय	अनुपालन
1.	विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 1999 (आदर्श प्रारूप) का अंगीकरण।	शासनादेश सं0-566/आ.ब./शासनादेश संकलन/99 दि0 30-12-99 को जो विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 1999 (आदर्श प्रारूप) से सम्बन्धित है, प्राधिकरण बोर्ड द्वारा कतिपय संशोधनों के साथ अंगीकृत कर लिया गया है।	निर्णयानुसार बोर्ड में अंगीकृत कर शासन को इस कार्यालय के पत्र सं0-3504 दि0 1-3-2000 द्वारा आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा गया था जिस पर शासना देश सं0-4716/9-अ-1-29विविध/ 98 दि0 21-10-2000 द्वारा अनुमति प्रदान कर दी गई।

Scanned by CamScanner

मद सं0-33.3: विगत बोर्ड बैठक दि0 29-2-2000 की कार्यवाही की पुष्टि

प्राधिकरण की विगत बोर्ड बैठक दि0 29-2-2000 को परिचालन विधि से सम्पन्न हुई थी। बैठक की की कार्यवाही प्राधिकरण के सभी सदस्यों एवं पदाधिकारियों को प्रेषित की जा चुकी है। किसी भी सदस्य/पदाधिकारी द्वारा कार्यवाही के सम्बन्ध में कोई आपत्ति/सुझाव प्रेषित नही किया गया है, अत: सर्वसम्मति से विगत बैठक दि0 29-2-2000 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।

मद सं0-33.4: विगत बोर्ड बैठक दि0 29-2-2000 में लिये गये निर्णयों का क्रियान्वयन

अनुपालन से सहमत होते हुये यह मद एजेण्डा से समाप्त किया जाता है।

मद सं0-33.5: विगत बोर्ड बैठक दि0 31-3-2000 की कार्यवाही की पुष्टि

प्राधिकरण की विगत बोर्ड बैठक दि0 31-3-2000 को सम्पन्न हुई थी। बैठक की कार्यवाही प्राधिकरण के सभी सदस्यों एवं पदाधिकारियों को प्रेषित की जा चुकी है। किसी भी सदस्य/पदाधिकारी द्वारा कार्यवाही के सम्बन्ध में कोई आपत्ति/सुझाव प्रेषित नही किया गया है, अत: सर्वसम्मति से विगत बैठक दि0 31-3-2000 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।

मद सं0-33.6: विगत बोर्ड बैठक दि0 31-3-2000 में लिये गये निर्णयों का क्रियान्वयन

विगत बैठक के निर्णयों के क्रियान्वयन/अनुपालन के सम्बन्ध में अनुपालन आख्या प्रस्तुत की गयी। अनुपालन से सहमत होते हुये सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिये गये:-

क. प्राधिकरण के वित्तीय वर्ष 2000-01 के आय-व्ययक पर विचार ।

अनुपालन से सहमत होते हुये यह मद एजेण्डा से समाप्त किया जाता है।

Secretary 20/6/2000 Vice Chairman Chairman/Commissoner

Scanned by CamScanner

मद सं0-33.5

विषयः विगत बोर्ड बैठक दि0 31-3-2000 की कार्यवाही की पुष्टि।

प्राधिकरण की विगत बोर्ड बैठक दि0 31-3-2000 को सम्पन्न हुई थी।बैठक की कार्यवाही प्राधिकरण के सभी माननीय सदस्यों एवं पदाधिकारियों को प्रेषित की जा चुकी है। किसी भी सदस्य/पदाधिकारी द्वारा कार्यवाही के सम्बन्ध में कोई आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत नही किया गया है। कार्यवाही की पुष्टि प्रस्तावित है।

मद सं0-33.6

विषयः विगत बोर्ड बैठक दि0 31-3-2000 में लिये गये निर्णयों का क्रियान्वयन ।

क्र.सं0	विषय	निर्णय	अनुपालन
क.	प्राधिकरण के वित्तीय वर्ष 2000-01 के आय-व्ययक पर विचार ।	वित्तीय वर्ष 2000-01 आय-व्ययक की संक्षिप्त रूपरेखा का उल्लेख किया गया सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरण द्वारा सर्व सम्मति से आय-व्ययक पारित किया गया।	निर्णयानुसार स्वीकृत बजट लक्ष्यों के अनुसार प्राप्तियाँ एवं भुगतान किये गये। पूर्ण विवरण चालू वित्तीय वर्ष के प्रस्तावित आय-व्ययक में प्रस्तुत है।
ख.	अन्य बिन्दु अध्यक्ष की अनुमति से ।		
	1. न्यायिक अधिकारियों हेतु अधिग्रहीत भवनों के सम्बन्ध में	विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि ह.वि.प्रा.की शिवलोक आवासीय योजना भाग-2 स्थित उच्च आय वर्ग श्रेणी के जो 3 भवन जिलाधिकारी हरिद्वार द्वारा अधिग्रहीत कर न्यायिक अधिकारियों को आवास हेतु आवंटित किये गये है उनके सम्बन्ध में शासन से पत्राचार किया जाय। यथाशीघ्र इन सम्पत्तियों के वापस	जिला प्रशासन से अधिग्रहीत भवनों को अधिग्रहण से मुक्त करने के अनुरोध किये जाने के फलस्वरूप एक भवन सं0-एच0-15बी अधिग्रहण से मुक्त हो चुका है। अब

Scanned by CamScanner

ख.(1) **न्यायिक अधिकारियों हेतु अधिग्रहीत भवनों के सम्बन्ध में ।**

अनुपालन से सहमत होते हुये यह मद एजेण्डा से समाप्त किया जाता है।

(2) **विभिन्न योजनाओं की सम्पत्तियों से आय ।**

अनुपालन से सहमत होते हुये यह मद एजेण्डा से समाप्त किया जाता है।

(3) **कुम्भ मेला-98 में प्राधिकरण द्वारा स्थापित हाई-मास्ट लाइटों की व्यवस्था ।**

अनुपालन से सहमत होते हुये यह मद एजेण्डा से समाप्त किया जाता है।

(4) **नई आवासीय योजनायें ।**

अनुपालन से सहमत होते हुये यह मद एजेण्डा से समाप्त किया जाता है।

(5) **अन्तर्राज्यीय बस अड्डा ।**

अनुपालन से सहमत होते हुये यह मद एजेण्डा से समाप्त किया जाता है।

(6) **ट्रांसपोर्ट नगर के सम्बन्ध में ।**

अनुपालन से सहमत होते हुये यह मद एजेण्डा से समाप्त किया जाता है।

(7) **हर की पैडी पर आवागमन को सुगम बनाने हेतु एलीवेटर लगाने की योजना ।**

अनुपालन से सहमत होते हुये यह मद एजेण्डा से समाप्त किया जाता है।

(8) **हर की पैडी का विस्तार ।**

Secretary 20/6/2014 Vice Chairman Chairman/Commissoner

Scanned by CamScanner

	प्राधिकरण को प्राप्त होने पर उनका नियमानुसार बिक्रय कर दिया जाय।	दो भवन सं0-एच-3ए व एच-5सी अधिग्रहण से मुक्त होने शेष है।
2. विभिन्न योजनाओं की सम्पत्तियों से आय।	योजनावार सम्पत्तियों के विक्रय पर चर्चा की गयी तथा यह निर्णय लिया गया कि माह मई के अन्त तक हरिलोक व श्यामलोक आवासीय योजना में जो सम्पत्तियाँ विक्रय हेतु अवशेष हैं उनका निस्तारण कर दिया जाय। अध्यक्ष/आयुक्त महोदय द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि योजनावार उपलब्ध सम्पत्तियों की संख्या/मूल्य, आंवटित सम्पत्तियों की संख्या तथा अवशेष सम्पत्तियों की संख्या एवं उनका मूल्य प्रदर्शित करते हुए एक संक्षिप्त विवरण पत्र बनाकर उन्हें शीघ्र उपलब्ध करा दिया जाय।	श्यामलोक आवासीय योजना में निर्देशों के अनुरूप सम्पत्ति का निस्तारण किया गया। जो शेष सम्पत्ति है उसे निस्तारित करने का पूर्ण प्रयास जारी है।
3. कुम्भ मेला-98 में प्राधिकरण द्वारा स्थापित हाई-मास्ट लाइटों की व्यवस्था	उपाध्यक्ष द्वारा अवगत कराया गया कि कुम्भ मेले में प्राधिकरण द्वारा हरिद्वार में जो 8 हाई-मास्ट लाइट लगायी गयी थी, उनका हस्तांतरण अभी तक नगर पालिका परिषद हरिद्वार को नहीं हो सका है। इस सम्बन्ध में चर्चा के उपरान्त सर्वसम्मति से निम्न निर्णय लिये गये- क. हरिद्वार स्थित सभी हाई-मास्ट लाइटें नगरपालिका हरिद्वार को तत्काल हस्तगत करा दी जायें। ख. हरिद्वार तथा ऋषिकेश स्थित हाई-मास्ट लाइटों का रख-रखाव सम्बन्धित नगरपालिका परिषद द्वारा किया जायेगा।	नगरपालिका हरिद्वार द्वारा हर की पैडी की हाई-मास्ट लाइटों के रख-रखाव हेतु अभी तक नही किया गया है। गंगासभा द्वारा दो लाइटों को लेने की सहमति

Scanned by CamScanner

	ग. हरिद्वार तथा ऋषिकेश में प्राधिकरण द्वारा स्थापित हाई-मास्ट लाइटों के 2 वर्षो (दि0 31-3-2000 तक) के विद्युत बिलों का भुगतान अवस्थापना निधि मद से प्राधिकरण द्वारा किया जायेगा।	प्राप्त होनी है। ऋषिकेश में केवल एक हाई-मास्ट लाइट लगायी गई थी जिसके रख-रखाव हेतु नगरपालिका ऋषि. द्वारा अंगीकृत कर लिया गया है।
	घ. विद्युत संयोजन के लिए आवेदन सम्बन्धित नगर-पालिका परिषद द्वारा ही किया जायेगा।	नगरपालिका हरिद्वार द्वारा हर की पैडी हाईमास्ट लाइटों को न अंगीकृत करने के कारण अभी तक रख-रखाव ह.वि.प्रा.द्वारा किया जा रहा है।
4. नई आवासीय योजनायें	जिलाधिकारी, हरिद्वार द्वारा सुझाव दिया गया है कि ह.वि.प्रा.द्वारा नव स्थापित कलैक्ट्रेट के आस-पास लगभग 400 एकड़ भूमि में एक मिनी टाउनशिप विकसित की जाय। अध्यक्ष/आयुक्त महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि हरिलोक आवासीय योजना भाग-2 की भूमि के प्रस्ताव के साथ-साथ इस प्रस्ताव पर भी आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जाय।जिलाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि शासन स्तर से यदि बी.एच.ई.एल.द्वारा कुछ भूमि जिला प्रशासन को प्राप्त हो जाती है तो उसमें से ह.वि.प्रा.के पक्ष में रिजम्पशन किया जा सकता है। अध्यक्ष/आयुक्त महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि इस सम्बन्ध में आवश्यक प्रस्ताव इत्यादि शासन को भेज दिये जायें।	निर्णयानुसार बी.एच.ई.एल. की 400 एकड़ भूमि में एक मिनी टाउनशिप विकसित किये जाने हेतु प्रस्ताव तैयार किया गया था ओर भूमि प्राप्त करने हेतु बी.एच.ई.एल. से पत्र व्यवहार किया गया था,परन्तु उन्होंने भूमि देने से असहमति व्यक्त की गयी है।
5. अन्तर्राज्यीय बस अड्डा	इस योजना की प्रगति के सम्बन्ध में प्राधिकरण द्वारा	इस सम्बन्ध में निर्णय का

Scanned by CamScanner

	अवगत कराया गया कि प्रस्तावित बस अड्डा ऋषिकुल में प्रस्तावित है तथा इसमें भूमि के सम्बन्ध में कुछ विवाद है। यह निर्णय लिया गया कि सन्दर्भित भूमि अन्तर्राज्यीय बस अड्डे के विकास/निर्माण के लिए प्राधिकरण को हस्तांतरित किये जाने के सम्बन्ध में शासन से अनापत्ति प्राप्त कर ली जाय। यह भी आवश्यक समझा गया कि जहाँ बस अड्डा प्रस्तावित है उसके ठीक सामने गंग नहर पर एक पुल बनाने की आवश्यकता होगी। अत: यह निर्णय लिया गया कि सम्बन्धित उपसमिति में प्राधिकरण की सदस्या श्रीमती उषा भारद्वाज के साथ-साथ सिंचाई विभाग के अधि. अभि.को भी सदस्य नामित किया जाय। यह भी निर्णय लिया गया कि अन्तर्राज्यीय बस अड्डे का प्रोजेक्ट आगामी एक सप्ताह में तैयार करा लिया जाय तथा इसे अध्यक्ष/आयुक्त महोदय के अनुमोदन उपरान्त अग्रिम कार्यवाही के लिए भेजा जाय।	अनुपालन पूर्व मद सं.-2 पर दर्शाया गया है।
6. ट्रांसपोर्ट नगर के सम्बन्ध में।	सम्बन्धित उपसमिति से यह अपेक्षा की गयी कि वह अपनी आख्या 7 अप्रैल 2000 तक स्थल चयन कर अवश्य प्रेषित कर दें यह भी निर्देश दिये गये कि इस समिति में श्रीमती उषा भारद्वाज-सदस्या ह.वि.प्रा.को भी आमन्त्रित किया जाय तथा समिति द्वारा ट्रांसपोर्टरों के साथ बैठक करके आवश्यक औपचारिकताएँ पूर्ण कर ली जाय। यह भी निर्णय लिया गया कि चूँकि इसमें भूमि का क्रय/अधिग्रहण निहित है, अत: सम्बन्धित परगनाधिकारी भी इस समिति के सदस्य होंगे।	इस सम्बन्ध में निर्णय का विस्तृत विवरण पूर्व अनुपालन में उपलब्ध है।

Scanned by CamScanner

7. हर की पैडी पर आवागमन को सुगम बनाने हेतु एलीवेटर लगाने की योजना	प्राधिकरण को इस आशय का सुझाव प्राप्त हुआ है कि हर की पैडी पर जीरो-जोन के प्राविधानों को पूर्णतया लागू करने के दृष्टिकोण से यह आवश्यक है कि हिल बाई पास से हर की पैडी को जोडने के लिए पार्किंग की व्यवस्था हिल बाई पास पर करते हुए एक एलीवेटर लगाने का प्रोजेक्ट तैयार किया जाये, ताकि वाहनों की पार्किंग हर की पैडी से दूर हो सके एवं वी.आई.पी.तथा यात्रियों की सुगमता से लिफ्ट का प्रयोग करके हर की पैडी पहुँच सके। इस योजना के क्रियान्वयन से हर की पैडी को पूर्णत: जीरो-जोन बनाया जा सके। प्राधिकरण द्वारा यह निर्णय लिया गया कि यह योजना शीघ्र ही प्राधिकरण द्वारा तैयार करायी जाय तथा इसका अनुमोदन अध्यक्ष/आयुक्त महोदय से प्राप्त कर योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाय। इस योजना हेतु धन की व्यवस्था अव-स्थापना निधि मद से की जायेगी।	निर्णयानुसार हर की पैडी के समीप हिल बाईपास से लिंक करते हुए लगभग 200 हल्के वाहनों की पार्किंग एवं दो लिफ्ट लगायी जाने की योजना का प्रस्ताव आमन्त्रित किया गया जिसमें प्रारम्भिक चरण में सबसे में सबसे उपर्युक्त प्रस्ताव मै0 दीपक कन्सट्रक्शन क. हरिद्वार का प्राप्त हुआ है। किन्तु पूर्व उपाध्यक्ष के दि0 29-12-2000 में प्रस्तावित किया था कि इस योजना का आगणन बी.ओ.टी.पद्धति पर कराने के साथ लाज,रेस्टोरेन्ट जलपान गृह एवं चौकीदार आदि की भी व्यवस्था है।
8. हर की पैडी का विस्तार	कुम्भ मेला-98 में हर की पैडी विस्तार की योजना बनायी गयी थी, जिसका क्रियान्वयन समयाभाव के कारण सम्भव नही था। सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि सिंचाई विभाग से इसका प्रस्ताव/प्रोजेक्ट तैयार कराकर नगर विकास विभाग,उ.प्र.शासन से धन आवंटन हेतु अनुरोध किया जाये। इस योजना का क्रियान्वयन सिंचाई विभाग द्वारा कराया जायेगा।	निर्णयानुसार हर की पैडी के विस्तार की कार्यवाही सिंचाई विभाग द्वारा की जा रही हैं।

Scanned by CamScanner

9. हरिद्वार-रूड़की मार्ग पर विकास गतिविधियों को नियन्त्रित किया जाना।	प्राधिकरण के समक्ष यह प्रस्ताव रखा गया कि रूडकी हरिद्वार मार्ग कुम्भ तथा अर्द्धकुम्भ मेलों के समय प्रयोग किया जाता है तथा इस पर होकर गुजरने वाले ट्रेफिक को नियन्त्रित करने की आवश्कता होती है। अत: यह उचित होगा कि हरिद्वार-रूड़की मार्ग के दोनों ओर 300मी.का क्षेत्र प्राधिकरण के क्षेत्र में सम्मिलित किया जाये। प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया कि इस आशय का प्रस्ताव प्राधिकरण द्वारा तैयार कराकर शासन को भेजा जाये।	निर्णयानुसार प्राधिकरण द्वारा प्रस्ताव तैयार करके इस कार्यालय के पत्र सं0-1159 दि0 11-8-2000 द्वारा उ.प्र. शासन को भेजा गया था। उत्तरॉचल शासन को पत्रांक-सं0-2069/एस.टी/2000-01 दि. 9-1-2001 द्वारा पुन: सन्दर्भित किया गया।
10. बहुउद्देशीय हाल का निर्माण	प्राधिकरण को अवगत कराया गया कि इस कार्य हेतु निविदायें आमन्त्रित हो चुकी है तथा यह कार्य उ.प्र. रा.निर्माण निगम के माध्यम से रू0 52.00 लाख में कराया जाना प्रस्तावित है यह भी बताया गया कि प्राधिकरण द्वारा इस कार्य हेतु निगम के साथ एम.ओ. यू. भी हस्ताक्षरित किया जा चुका है। कार्य हेतु अवस्थापना निधि से रू0 10.00 लाख आवंटित किये जा चुके है तथा विधायक निधि से रू. 7.50 लाख की धनराशि प्राप्त हो चुकी है। अध्यक्ष/आयुक्त महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि यह कार्य दि0 7-4-2000 से प्रारम्भ कर दिया जाये तथा साथ-साथ पूर्व निर्णयानुसार अन्य श्रोतों से प्राप्त होने वाली धनराशि की व्यवस्था हेतु प्रयास किये जायें। यदि इस कार्य हेतु अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होगी तो उसकी व्यवस्था अवस्थापना निधि से कर दी जायेगी।	निर्णयानुसार इस कार्य की संशोधित निर्माण लागत रू0 59.46 लाख आंकी गई है। बढोत्तरी का मुख्य कारण स्टेज को बड़ा किया जाना, छत डोम की आकार की बनायी जानी एवं स्थल का आन्तरिक विकास आदि है। पूर्व में रू0 40.00 लाख की व्यवस्था इस प्रकार की गई थी कि रू0 30.00लाख अवस्थापना निधि से रू0 10.00 लाख विधायक निधि से होगी। शेष 20.00 लाख की व्यवस्था हेतु जिलाधिकारी हरिद्वार से अनुरोध किया गया

अनुपालन में

Scanned by CamScanner

अनुपालन से सहमत होते हुये यह मद एजेण्डा से समाप्त किया जाता है।

(9) हरिद्वार-रूड़की मार्ग पर विकास गतिविधियों को नियन्त्रित किया जाना ।

निर्णय हुआ कि शासन को पुनः अनुस्मारक भेजेते हुए यह मद एजेण्डा से समाप्त किया जाता है।

(10) बहुउद्देशीय हाल का निर्माण ।

निर्णय हुआ कि यह कार्य 15-8-2001 तक पूर्ण किया जाय तथा मद एजेण्डा से समाप्त किया जाता है।

(11) हर की पैडी पर मल्टी स्टोरीज पार्किंग के सम्बन्ध में ।

हर की पैड़ी पर उपयुक्त स्थान उपलब्ध न होने के कारण तथा लिफ्ट की योजना विचाराधीन होने के कारण प्रस्ताव एजेण्डा मद से समाप्त किया जाता है।

(12) गंगा नदी से 200 मी. के क्षेत्र में शमन की अनुमति के सम्बन्ध में ।

माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में अध्यक्ष/आयुक्त, ह.वि.प्रा. द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में शासनादेश दि0 23-9-98 जारी होने की तिथि तक जो निर्माण हो चुके थे उन्हें शमनित कर दिया जाय। शासन के आदेश जारी होने के पश्चात हुये निर्माणों को शमन नहीं किये जायेगें। यह भी निर्णय हुआ कि उ.प्र. शासन के तीनों शासनादेशों को उत्तरॉचल शासन को सन्दर्भित किया जाय।

(13) अध्यक्ष नगरपालिका हरिद्वार द्वारा श्री मंगल सिंह के प्रकरण को प्राधिकरण के रखे जाने के रखे जाने के सम्बन्ध में।

अनुपालन से सहमत होते हुये यह मद एजेण्डा से समाप्त किया जाता है।

Secretary 20/9/2001 Vice Chairman Chairman/Commissoner

Scanned by CamScanner

		है। यह कार्य 15 अगस्त तक पूर्ण किया जाना अपेक्षित है।
11. हर की पैड़ी पर मल्टी स्टोरीड पार्किंग के सम्बन्ध में	जिलाधिकारी, हरिद्वार द्वारा सुझाव दिया गया कि हर की पैडी पर मल्टी स्टोरीड पार्किंग की व्यवस्था की जाय। अध्यक्ष/आयुक्त, महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि इस आशय का प्रस्ताव/प्रोजेक्ट तैयार कराकर उनके समक्ष रखा जाय। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि प्रस्तावित पार्किंग गंगा नदी से 200 मी. की दूरी के अन्दर है तो इसके लिए सर्वप्रथम शासन स्तर से प्रति-बन्ध में छूट दिये जाने हेतु आवेदन भी किया जाय।	हर की पैडी के समीप मल्टी स्टोरीज पार्किंग हेतु उपयुक्त स्थान उपलब्ध न होने एवं हर की पैडी पर लिफ्ट की योजना विचाराधीन होने के कारण प्रस्ताव समाप्त किये जाने हेतु विचारार्थ प्रस्तुत है।
12. गंगा नदी से 200मी. के क्षेत्र में शमन की अनुमति के सम्बन्ध में।	प्राधिकरण के समक्ष यह प्रस्ताव रखा गया कि गंगा नदी से 200मी0दूरी के अन्दर जो मानचित्र पहले से स्वीकृत हैं तथा उनमें निर्माण के बाद स्वीकृत मानचित्र से कतिपय भिन्न निर्माण कर लिया गया है एवं उसके ामन हेतु आवेदन किया गया है तो ऐसे प्रकरणों में मानचित्र स्वीकृत होने के कारण शमन की अनुमति प्रदान कर दी जाय। प्राधिकरण द्वारा यह निर्णय लिया गया कि ऐसे प्रकरणों में शमन की अनुमति प्रदान कर दी जाय। पहले ऐसे मामले कितन हैं उसकी संख्या ज्ञात कर ली जाय तत्पश्चात् अध्यक्ष/आयुक्त से अनुमति के बाद शमन की जाय।	निर्णयानुसार अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है। (संलग्नक-)
13. अध्यक्ष, नगरपालिका हरि. द्वारा श्री मंगल सिंह के प्रकरण	अध्यक्ष,नगरपालिका हरिद्वार द्वारा श्री मंगल सिंह पुत्र देवी सिंह, खन्ना नगर का एक प्रकरण प्राधिकरण के	अनुपालन हेतु कार्यवाही की गई है।

Scanned by CamScanner

को प्राधिकरण के समक्ष रखे जाने के सम्बन्ध में।

समक्ष रखा गया जो कि धारा 27/28 के अन्तर्गत वाद सं0-31/92-93 में की गयी कार्यवाही से सम्बन्धित है। अध्यक्ष नगरपालिका परिषद द्वारा अवगत कराया गया कि सम्बन्धित पक्षकार द्वारा शमन की धनराशि जमा की जा चुकी है, अतः इस प्रकरण से सम्बन्धित पक्षकार पर आरोपित ब्याज में छूट दे दी जाय। विचार-विमर्श के उपरान्त प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया कि इस प्रकरण विशेष में अपवाद के रूप में शमन पर आरोपित ब्याज की धनराशि में छूट प्रदान कर दी जाय, परन्तु भविष्य में इसको नजीर के रूप में न माना जाय।

Scanned by CamScanner

प्राधिकरण की बैठक दि0 25-5-2000 की कार्यवाही की पुष्टि एवं क्रियान्वयन

139

Scanned by CamScanner

मद सं0-33.7

विषय: विगत बोर्ड बैठक दि0 25-5-2000 की कार्यवाही की पुष्टि।

प्राधिकरण की विगत बोर्ड बैठक दि0 25-5-2000 को परिचालन विधि से सम्पन्न करायी गयी थी, बैठक की कार्यवाही प्राधिकरण के सभी माननीय सदस्यों एवं पदाधिकारियों को प्रेषित की जा चुकी है। किसी भी सदस्य/पदाधिकारी द्वारा कार्यवाही के सम्बन्ध में कोई आपत्ति/सुझाव प्रेषित नही किया गया है। कार्यवाही की पुष्टि प्रस्तावित है।

मद सं0-33.8

विषय: विगत बोर्ड बैठक दि0 25-5-2000 में लिये गये निर्णयों का क्रियान्वयन ।

क्र.सं0	विषय	निर्णय	अनुपालन
1	आदर्श भवन निर्माण एवं विकास उपविधि,1999 आवश्यक परिष्कारों सहित अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।	शासनादेश सं0-65/आ0ब0-भवन उपविधि/99-2000 दि. 20-4-2000 आदर्श भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 1999 आवश्यक परिष्कारों परिचालन विधि से कतिपय अतिरिक्त संशोधनों सहित अंगीकृत कर लिया गया है।	निर्णयानुसार कार्यवाही की जा रही है। विस्तृत विवरण पृष्ठ 18 पर अवलोकनार्थ उपलब्ध है।

Scanned by CamScanner

मद सं0-33.7: विगत बोर्ड बैठक दि0 25-5-2000 की कार्यवाही की पुष्टि

प्राधिकरण की विगत बोर्ड बैठक दि0 25-5-2000 को परिचालन विधि से सम्पन्न हुई थी। बैठक की की कार्यवाही प्राधिकरण के सभी सदस्यों एवं पदाधिकारियों को प्रेषित की जा चुकी है। किसी भी सदस्य/पदाधिकारी द्वारा कार्यवाही के सम्बन्ध में कोई आपत्ति/सुझाव प्रेषित नही किया गया है, अत: सर्वसम्मति से विगत बैठक दि0 25-5-2000 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।

मद सं0-33.8: विगत बोर्ड बैठक दि0 25-5-2000 में लिये गये निर्णयों का क्रियान्वयन

अनुपालन से सहमत होते हुये यह मद एजेण्डा से समाप्त किया जाता है।

मद सं0-33.9: हरिद्वार विकास प्राधिकरण के वर्ष 2000-01 का पुनरीक्षित/वास्तविक एवं वर्ष 2001-2002 के प्रस्तावित आय-व्ययक के सम्बन्ध में।

प्राधिकरण बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से वर्ष 2000-01 का पुनरीक्षित/वास्तविक एवं वर्ष 2001-2002 के प्रस्तावित आय-व्ययक को अनुमोदित किया गया।

मद सं0-33.10: हरिलोक आवासीय योजना भाग-2 हेतु 100 हेक्टेयर भूमि के अधिग्रहण के सम्बन्ध में।

हरिलोक आवासीय योजना भाग-1 के समीप हरिलोक भाग-2 के विकास हेतु 114.136 हेक्टेयर भूमि के क्रय/अधिग्रहण प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक सहमति के साथ प्रथम चरण में रूड़की मार्ग से आवासीय भू-उपयोग तक की लगभग 50 हेक्टेयर भूमि के क्रय/अधिग्रहण की कार्यवाही प्रारम्भ करने व वर्ष 01-02 में इस कार्य हेतु रू0 5.00 करोड़ व्यय करने के प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

मद सं0-33.11: बी.एच.ई.एल. की निष्प्रोज्य भूमि में से 400 एकड़ भूमि पर आवासीय योजना के सम्बन्ध में।

चिन्मय डिग्री कालेज से आगे रोशनाबाद मार्ग के बायीं ओर बी.एच.ई.एल. की लगभग 658 एकड़ भूमि

Secretary 20/6/2000 Vice Chairman Chairman/Commissoner

Scanned by CamScanner

मद सं0-33.9

विषयः हरिद्वार विकास प्राधिकरण के वर्ष 2000-01 का पुनरीक्षित/वास्तविक एवं वर्ष 2001-2002 के प्रस्तावित आय व्ययक के सम्बन्ध में।

अ. वर्ष 2000-01 का पुनरीक्षित/वास्तविक आय-व्ययक

प्राधिकरण का वर्ष 2000-01 का मूल आय-व्ययक प्राधिकरण की गत बैठक मार्च 2000 में स्वीकृत किया गया था जिसमें कुल आय रू0 938.00 लाख तथा कुल व्यय रू0 929.40 लाख का स्वीकृत किया गया था। अगस्त 2000 तक की वास्तविक उपलब्धियों के दृष्टिगत आय-व्ययक की कई मदों में पुनरीक्षण/संशोधन की आवश्यकता पडी उक्त के दृष्टिगत तत्कालीन अध्यक्ष/आयुक्त, सहारनपुर मण्डल से सितम्बर 2000 में पुनरीक्षित आय-व्ययक स्वीकृत कराया गया। उक्त में कुल आय रू0 874.00 लाख तथा कुल व्यय रू0 838.55 लाख का स्वीकृत किया गया। उक्त के विरूद्ध वास्तविक उपलब्धि में आय रू0 606.31 लाख तथा व्यय रू0 461.15 लाख रहा। आय में कमी का मुख्य कारण प्राधिकरण के पास विक्रय हेतु सम्पत्ति उपलब्ध न होना रहा है। इसके अतिरिक्त जो दो व्यावसायिक/होटल भूखण्ड उपलब्ध हैं, उनकी मांग न होना रहा आय में कमी के साथ ही व्यय पक्ष भी प्रभावित रहा समस्त व्यय (कार्यालय अनुरक्षण एवं अवस्थापना विकास निधि की मदों को छोड़कर) स्वीकृत प्राविधानों के अन्तर्गत ही रहे। आय की निम्नलिखित मदों में अच्छी प्रगति रही-

(1) मानचित्र शुल्क में बजट अनुमान रू0 10.00 लाख के विरूद्ध 15.74 लाख की प्राप्ति हुई।

(2) विकास शुल्क में बजट अनुमान रू0 125.00 लाख के विरूद्ध 145.10 लाख की प्राप्ति हुई।

(3) हरिलोक योजना एवं शिवलोक योजना में भी बजट अनुमान से अधिक प्राप्तियाँ रही।

(4) विनियोजन मद में ब्याज से वास्तविक प्राप्ति बजट अनुमान रू0 50.00 लाख के विरूद्ध रू0 65.00 लाख रही है। परन्तु उक्त ब्याज सावधि जमा कैश करने पर ही मद में दर्शाया जाता है। अतः उक्त राशि अगले वर्ष में दर्शायी जा रही है। उपरोक्तानुसार वर्ष 2000-01 के पुनरीक्षित आय-व्ययक एवं वास्तविक आंकडे संलग्न कर प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

Scanned by CamScanner

ब. वर्ष 2001-02 का प्रस्तावित आय-व्ययक

प्राधिकरण के प्रस्तावित आय-व्ययक में कुल आय रू0 2867.00 लाख तथा कुल व्यय रू0 2749.70 लाख का प्रस्तावित किया जा रहा है। पूर्ण मदों वार विवरण संलग्न है। इस वर्ष के बजट में मुख्य व्यय भू-अर्जन मद में है जिनका संक्षिप्त विवरण निम्नवत है-

(1) ज्वालापुर कडच्छ के पास यू.पी.एस.आई.सी की 0.40 हैक्टयर भूमि क्रय हेतु रू0 2.00 करोड़ का प्राविधान ।

(2) ट्रांसपोर्ट नगर हरिद्वार एवं ऋषिकेश हेतु भूमि क्रय हेतु आंशिक भुगतान रू0 4.00 करोड़ का प्राविधान

(3) हरिलोक योजना फेस-2 हेतु आंशिक भुगतान रू0 12.00 करोड़ का प्राविधान ।

(4) बी.एच.ई.एल.की निष्प्रोज्य भूमि में से 400 एकड़ भूमि पर आवासीय योजना हेतु आंशिक भुगतान रू0 दो करोड़ ।

1. राजस्व आय

राजस्व आय की मुख्य मदों में स्टाम्प ड्यूटी, विनियोजनों से ब्याज, मानचित्र शुल्क, शमन शुल्क, विकास शुल्क एवं फ्री-होल्ड शुल्क आदि से प्राप्तियों को दर्शाया जाता है। जो कि वर्ष 2001-02 हेतु कुल आय रू0 456.00 लाख की प्रस्तावित है जो कि गत वर्ष की वास्तविक प्राप्ति से रू0 103.39 लाख अधिक है। विनियोजन से ब्याज प्राप्ति की मद में अब तक की सर्वाधिक आय प्रस्तावित है जो कि कुशल वित्तीय नियन्त्रण का परिणाम है। यह हर्ष का विषय है कि प्राधिकरण केवल **इसी मद से अपने समस्त कार्यालय अधिष्ठान व्यय वहन करने में सक्षम है।**

2. पूंजीगत आय

पूंजीगत आय में मुख्य रूप से सम्पत्ति विक्रय, अनुदान/ऋणों की प्राप्तियाँ तथा नई योजनाओं में सम्पत्ति विक्रय आदि से प्राप्त आय को सम्मिलित किया गया है। वर्तमान में प्राधिकरण के पास विक्रय हेतु सम्पत्ति उपलब्ध नही है। इस वर्ष भूमि अर्जन/क्रय की कार्यवाही प्राथमिकता पर की जा रही है।

अत: मुख्य प्राप्ति नई योजना में सम्पत्ति विक्रय/पंजीकरण से प्रस्तावित है। ऋणों की प्राप्ति मद में रू0 20.00 करोड़ प्रस्तावित है। हालांकि प्राधिकरण का प्रयास रहेगा कि ऋण कम से कम ही लिया जाय। इस प्रकार पूंजीगत आय 2411.00 लाख की प्रस्तावित की जा रही है।

Scanned by CamScanner

3. राजस्व व्यय

राजस्व व्यय में मुख्य रूप से अधिष्ठान के वेतन भत्ते, कार्यालय व्यय जैसे स्टेशनरी, डाक व्यय, टेलीफोन व्यय, कानूनी व्यय, छपाई, विज्ञापन, अतिथि सत्कार, मशीनरी/कम्प्यूटर अनुरक्षण एंव वाहन अनुरक्षण तथा डीजल पैट्रोल आदि पर व्यय सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त सम्परीक्षा शुल्क तथा कर्मचारियों को भवन निर्माण /वाहन क्रय हेतु अग्रिम भी राजस्व व्यय में प्रस्तावित है। इस प्रकार कुल मिलाकर राजस्व व्यय रू0 138.70 लाख के प्रस्तावित है जो कि आवश्यकतानुसार एवं नियन्त्रण की दृष्टि से व्यावहारिक है।

4. पूंजीगत व्यय

पूंजीगत व्यय में मुख्य रूप से कम्प्यूटर/मशीनरी/फर्नीचर/सीमेन्ट क्रय एवं भू-अर्जन व्यय तथा योजनाओं में विकास/निर्माण कार्यो पर व्यय को सम्मिलित कर दर्शाया गया है। इस वर्ष मुख्य व्यय भू-अर्जन, तथा अवस्थापना विकास निधि से व्ययों को प्रस्तावित किया गया है। भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित योजनाओं का उल्लेख प्रारम्भ में किया जा चुका है। इस प्रकार कुल रू0 2611.00 लाख का प्राविधान पूंजीगत व्यय हेतु प्रस्तावित किया जा रहा है।

कृपया उपरोक्तानुसार प्राधिकरण का प्रस्तावित संलग्न आय-व्ययक वर्ष 2001-02 बोर्ड के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है-

Scanned by CamScanner

हरिद्वार विकास प्राधिकरण

बजट

(रू0 लाख में)

क्र.	मद	1998-99 वास्तविक	1999-2000 वास्तविक	2000-2001 प्रस्तावित	2000-2001 पुनरीक्षित प्रस्तावित	2000-2001 वास्तविक	2001-2002 प्रस्तावित
(अ)	राजस्व आय						
1	स्टाम्प ड्यूटी	67.38	0.00	40.00	75.00	61.43	50.00
2	विनियोजनों पर ब्याज प्राप्तियां	42.79	35.87	40.00	50.00	37.98	125.00
3	मानचित्र शुल्क	11.70	10.45	10.00	10.00	15.74	17.00
4	शमन शुल्क	119.65	61.95	50.00	50.00	30.93	50.00
5	पर्यवेक्षण शुल्क	11.49	13.30	10.00	9.00	11.43	12.00
6	अनुदान प्राप्ति	41.70	16.75	10.00	5.00	0.00	10.00
7	विविध(टेण्डर फीस, लीज रेन्ट आदि)	14.07	32.61	5.00	6.00	5.62	7.00
8	विकास शुल्क	105.67	110.48	100.00	125.00	145.10	150.00
9	अम्बार शुल्क	18.01	3.44	15.00	10.00	12.24	15.00
10	फ्री-होल्ड शुल्क	0.00	23.32	20.00	35.00	32.14	20.00
(अ)	कुल राजस्व आय	**432.46**	**308.17**	**300.00**	**375.00**	**352.61**	**456.00**
(ब)	पूंजीगत आय						
1	ऋषिलोक योजना	8.11	4.40	2.00	4.00	4.57	2.00
2	शिवलोक	29.51	31.72	13.00	22.00	28.19	9.00
3	हरिलोक	52.30	141.26	60.00	85.00	88.36	70.00
4	श्यामलोक	124.35	115.72	85.00	75.00	63.70	45.00
5	हुड्कों एवं अन्य संस्थाओं से ऋणों की प्राप्ति	0.00	0.00	200.00	130.00	0.00	2,000.00
6	आई.डी.एस.एम.टी.	3.83	0.00	5.00	5.00	3.25	10.00
7	गायत्री लोक	0.00	52.88	75.00	75.00	64.36	70.00
8	अन्य नई योजना	0.00	13.09	195.00	100.00	0.00	200.00
9	प्राधिकरण कर्मचारियों को भवन निर्माण/वाहन ऋण की वसूली	0.00	0.76	3.00	3.00	1.27	5.00
(ब)	कुल पूंजीगत आय	**218.10**	**359.83**	**638.00**	**499.00**	**253.70**	**2411.00**
	कुल आय (अ+ब)	**650.56**	**668.00**	**938.00**	**874.00**	**606.31**	**2867.00**

Scanned by CamScanner

हरिद्वार विकास प्राधिकरण

बजट

(रू0 लाख में)

क्र.	मद	1998-99 वास्तविक	1999-2000 वास्तविक	2000-2001 प्रस्तावित	2000-2001 पुनरीक्षित प्रस्तावित	2000-2001 वास्तविक	2001-2002 प्रस्तावित
(अ)	राजस्व व्यय						
1-	अधिष्ठान						
(i)	कर्मचारी वेतन/भत्ते	57.16	50.88	65.00	65.00	48.56	55.00
(ii)	यात्रा भत्ता	1.65	1.20	2.00	2.00	1.34	1.00
(iii)	दैनिक वेतन	0.19	0.28	0.40	0.40	0.27	0.40
(iv)	अवकाश नकदीकरण/पेंशन अंशदान	0.60	2.98	1.50	1.50	1.21	1.50
	योग (अ)	**59.60**	**55.34**	**68.90**	**68.90**	**51.38**	**57.90**
2-	कार्यालय विविध व्यय						
(i)	डाक व्यय	0.22	0.26	0.30	0.25	0.17	0.30
(ii)	स्टेशनरी	1.52	1.48	1.50	1.75	1.33	2.00
(iii)	कार्यालय भवन अनुरक्षण	2.98	2.51	2.50	4.00	4.64	3.00
(iv)	टेलीफोन	5.47	3.86	5.00	5.00	3.07	4.00
(v)	पुस्तकालय	0.09	0.07	0.25	0.20	0.12	0.25
(vi)	कानूनी व्यय	1.41	1.11	1.00	1.00	1.02	1.00
(vii)	अतिथि सत्कार	0.43	0.51	0.50	0.50	0.22	0.50
(viii)	छपाई	0.46	0.78	1.50	1.50	0.75	1.00
(ix)	विज्ञापन	1.89	2.01	3.00	4.00	3.86	5.00
(x)	सम्परीक्षा शुल्क	0.12	1.48	1.50	1.50	1.50	2.00
(xi)	विविध	2.29	1.43	2.00	2.00	1.10	1.00
(xii)	कर्मचारी कल्याण	0.00	0.00	0.25	0.25	0.00	0.25
(xiii)	मशीनरी अनुरक्षण	0.93	0.26	1.00	0.75	0.36	0.50
(xiv)	विद्युत अनुरक्षण	0.25	1.26	0.50	0.50	0.36	0.50
(xv)	विवेकाधीन	0.20	0.08	0.20	0.20	0.19	0.25
(xvi)	अस्थाई अग्रिम	2.78	1.51	0.50	1.00	0.30	0.75
(xvii)	कम्प्यूटर अनुरक्षण	0.78	0.42	1.00	1.00	0.21	1.50
	योग (ब)	21.82	19.03	22.50	25.40	19.20	23.80

Scanned by CamScanner

हरिद्वार विकास प्राधिकरण

बजट

(रू0 लाख में)

क्र.	मद	1998-99 वास्तविक	1999-2000 वास्तविक	2000-2001 प्रस्तावित	2000-2001 पुनरीक्षित प्रस्तावित	2000-2001 वास्तविक	2001-2002 प्रस्तावित
3-	वाहन						
(i)	अनुरक्षण	1.31	1.68	2.00	3.00	2.30	3.00
(ii)	पैट्रोल/डीजल	3.18	3.72	4.00	5.00	4.63	5.00
	योग (स)	4.49	5.40	6.00	8.00	6.93	8.00
4-	कर्मचारी अग्रिम						
(i)	वाहन	0.99	0.29	1.00	1.00	0.02	1.00
(ii)	भवन/भूखण्ड	2.68	3.62	10.00	12.00	11.54	8.00
	योग (द)	3.67	3.91	11.00	13.00	11.56	9.00
5-	मास्टर प्लान	0.00	0.26	0.50	1.00	0.54	30.00
6-	विकास व्यय	48.35	55.14	10.00	5.00	2.60	0.00
7-	यातायात प्लान	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8-	विकास कार्य (अनुदान)	103.40	17.57	30.00	10.00	0.00	10.00
9-	आवास बन्धु	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00
	योग (य)	152.50	75.97	43.50	19.00	6.14	40.00
	कुल योग राजस्व व्यय (अ+ब+स+द+य)	242.08	159.65	151.90	134.30	95.21	138.70
	पूंजीगत व्यय						
1	कार जीप मशीनरी आदि क्रय	5.95	4.48	2.00	5.00	0.00	10.00
2	कम्प्यूटर क्रय	0.75	3.53	4.00	7.00	2.99	5.00
3	फ्रर्नीचर/फिक्चर्स क्रय	1.86	0.56	1.00	2.00	1.28	1.00
4	क्रेन्द्रीय स्टोर (सीमेन्ट व स्टील)	16.72	56.32	40.00	40.00	39.25	60.00
	योग (अ)	25.28	64.89	47.00	54.00	43.52	76.00
5	योजना भूमि क्रय						
(i)	श्यामलोक	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(ii)	गायत्रीलोक	145.31	30.27	0.00	0.00	0.00	0.00
(iii)	नई योजना	0.00	0.00	300.00	250.00	0.00	2,000.00
	योग (ब)	145.31	30.27	300.00	250.00	0.00	2000.00

Scanned by CamScanner

हरिद्वार विकास प्राधिकरण

बजट

(रू0 लाख में)

क्र.	मद	1998-99 वास्तविक	1999-2000 वास्तविक	2000-2001 प्रस्तावित	2000-2001 पुनरीक्षित प्रस्तावित	2000-2001 वास्तविक	2001-2002 प्रस्तावित
6	योजना विकास/निर्माण कार्य						
(i)	शिवलोक	7.92	5.99	2.00	2.00	0.63	1.00
(ii)	श्यामलोक	27.02	14.34	30.00	30.00	22.27	10.00
(iii)	हरिलोक	38.35	29.37	50.00	50.00	48.76	15.00
(iv)	टी.एच.डी.सी.पुनर्वास योजना	0.70	0.47	0.50	0.75	0.75	1.00
(v)	ऋण वापसी	11.85	52.39	0.00	0.00	0.00	0.00
(vi)	ऋणों पर देय ब्याज	3.40	7.34	0.00	0.00	0.00	30.00
(vii)	आई.डी.एस.एम.टी.	38.83	16.94	10.00	10.00	2.82	10.00
(viii)	शोध/ट्रेनिंग	0.19	2.91	3.00	2.50	1.22	3.00
(1x)	भवन/इन्फ्रास्ट्रक्चर	0.00	87.39	200.00	175.00	221.44	250.00
(x)	गायत्रीलोक	33.24	8.78	40.00	40.00	7.23	5.00
(xi)	आश्रय योजना/ई.डब्लू.एस.	0.00	13.08	10.00	15.00	13.05	25.00
(xiii)	नई योजना	0.00	16.20	85.00	75.00	4.25	185.00
	योग (स)	161.50	255.20	430.50	400.25	322.42	535.00
	कुल योग पूंजीगत व्यय	332.09	350.36	777.50	704.25	365.94	2611.00
	सकल योग व्यय	574.17	510.01	929.40	838.55	461.15	2749.70
	अन्तिम अवशेष	76.39	157.99	8.60	35.45	145.16	117.30

(सी0एम0भटगांई)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी

(रमाशंकर)
सचिव

(डा0 दिलबाग सिंह)
उपाध्यक्ष

Scanned by CamScanner

मद सं0-33.10

विषयः हरिलोक आवासीय योजना भाग-2 हेतु 100 हेक्टेयर भूमि के अधिग्रहण के सम्बन्ध में।

हरिद्वार विकास प्राधिकरण द्वारा हरिलोक आवासीय योजना भाग-1 का विकास कार्य पूर्ण किया जा चुका है। अतः हरिलोक भाग-1 के पास हरिलोक भाग-2 के विकास हेतु 114.136 हेक्टेयर भूमि के क्रय/अधिग्रहण का प्रस्ताव तैयार किया गया है। जिसमें रूड़की मार्ग के साथ पार्क एवं खुला क्षेत्र की लगभग 80 मीटर चौडी पट्टी आवासीय आर-2 निम्न घनता उसके बाद कृषि भू-उपयोग है। फिलहाल रूड़की मार्ग से आवासीय भू-उपयोग तक की लगभग 50 हेक्टेयर भूमि के क्रय/अधिग्रहण का प्रस्ताव है। अतः लगभग 50 हेक्टेयर भूमि के क्रय/ अधिग्रहण की कार्यवाही प्रारम्भ करने व रू0 5.00 करोड़ का व्यय वर्ष 2001-02 में करने की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

मद सं0-33.11

विषयः बी.एच.ई.एल. की निष्प्रोज्य भूमि में से 400 एकड़ भूमि पर आवासीय योजना के सम्बन्ध में।

दि0 1-6-2001 को जिलाधिकारी हरिद्वार की अध्यक्षता में कार्यकारी निदेशक, के साथ हुई बैठक एवं स्थलीय निरीक्षण के सन्दर्भ में उनके द्वारा चिन्मयानन्द डिग्री कालेज से आगे रोशनाबाद मार्ग के बायीं ओर लगभग 658 एकड़ निष्प्रोज्य भूमि में से 400 एकड़ भूमि देने की सहमति व्यक्त की गई जिस पर ह.वि.प्रा.द्वारा पत्र सं0-399/सम्पत्ति-1(क)-10-2001-02 दि0 2-6-2001 द्वारा कार्यकारी निदेशक बी.एच.ई.एल को पत्र प्रेषित किया गया है। जिसकी प्रति जिलाधिकारी, हरिद्वार को भी पृष्ठांकित की गई है।

प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

मद सं0-33.12

विषयः ट्रांसपोर्ट नगर हरिद्वार हेतु 11 से बढ़ाकर 15 हेक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में।

हरिद्वार में ट्रांसपोर्ट नगर की स्थापना हेतु गांव ज्वालापुर तहसील व जिला हरिद्वार में मण्डी स्थल के निकट महायोजना में भूमि आरक्षित की गयी है। रूड़की विश्वविद्यालय रूड़की के सिविल इन्जीनियरिंग विभाग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में आरक्षित भूमि से अधिक भूमि कुल 15.424 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता बतायी गयी है । जिसमें 11.36 हेक्टेयर भूमि का भू-उपयोग ट्रांसपोर्ट नगर व 4.064 हेक्टेयर भूमि का भू-उपयोग कृषि एवं भण्डारण है।

Scanned by CamScanner

में से 400 एकड़ भूमि प्राप्त कर उक्त पर योजना विकसित कर भूखण्ड विक्रय करने के प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

मद सं0-33.12: ट्रांसपोर्ट नगर हरिद्वार हेतु 11 से 15 हेक्टेयर भूमि क्रय के सम्बन्ध में।

हरिद्वार में ट्रांसपोर्ट नगर की स्थापना हेतु ग्राम ज्वालापुर तहसील व जिला हरिद्वार में मण्डी स्थल के निकट 15.424 हेक्टेयर भूमि के अधिग्रहण प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त करते हुए उक्त योजना हेतु कृषि एवं हरित पट्टी की 2.957 हेक्टेयर भूमि, भण्डारण की 1.107 हेक्टेयर भूमि का भू प्रयोग ट्रांसपोर्ट नगर में परिवर्तित करने तथा ट्रांसपोर्ट नगर से 0.178 हेक्टेयर भूमि का भू-प्रयोग भण्डारण में परिवर्तित करने पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान करते हुये भू-प्रयोग प्रस्ताव शासन की स्वीकृति हेतु संदर्भित करने का निर्णय लिया गया।

मद सं0-33.13: ऋषिकेश ट्रांसपोर्ट नगर हेतु भूमि अधिग्रहण के सम्बन्ध में।

फिजीबिल्टी रिपोर्ट दि0 20-6-2001 तक आने के बाद भूमि क्रय सम्बन्धी कार्यवाही पर बोर्ड द्वारा सहमति दी गयी ।

मद सं0-33.14: हरिद्वार महायोजना के सर्वेक्षण (एम.डी.डी.ए. पैटर्न) सम्बन्ध में।

हरिद्वार महायोजना के पुनरीक्षण हेतु भौतिक सर्वेक्षण सम्बन्धी कार्य कराये जाने के प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान प्रभारी अधिकारी, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, देहरादून द्वारा बैठक में अवगत कराया गया कि रिमोट सेन्सिंग संस्थान द्वारा सैटेलाइट इमेजारी के माध्यम से उपलब्ध कराया जाने वाला मानचित्र पर्याप्त नहीं होगा। हवाई सर्वेक्षण पर अत्यधिक समय तथा धनराशि व्यय होने की सम्भावना है, अतः उचित होगा कि समाचार पत्रों के माध्यम से टेण्डर आमन्त्रित कर सर्वेक्षण कर्ता के चयन कर कार्य प्रारम्भ करा दिया दिया जाय। सम्यक विचारोपरान्त प्राधिकरण द्वारा टेण्डर के

Secretary 20/09/2001 Vice Chairman Chairman/Commissoner

Scanned by CamScanner

अत: उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए 15.424 हेक्टेयर भूमि के क्रय/अधिग्रहण करने के साथ-साथ कृषि एवं हरित पट्टी की 2.957 हेक्टेयर, भण्डारण की 1.107 हेक्टेयर भूमि का भू-उपयोग ट्रांसपोर्ट नगर भू-उपयोग में परिवर्तित करने की स्वीकृति वाँछित है। उपरोक्त परिवर्तन से 0.178 हेक्टेयर भूमि ट्रांसपोर्ट नगर भू-उपयोग से भण्डारण भू-उपयोग में परिवर्तित करने का भी प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत है।

मद सं0-33.13

विषय: ऋषिकेश ट्रांसपोर्ट नगर हेतु भूमि अधिग्रहण के सम्बन्ध में।

महायोजना में ग्राम गुमानीवाला में इस हेतु 15 हेक्टेयर भूमि आरक्षित है जिस पर प्रारम्भिक प्रोजेक्ट रिपोर्ट रूड़की विश्वविद्यालय द्वारा तैयार करायी जा रही है। दि0 20-6-2001 तक रिपोर्ट प्राप्त होने की सम्भावना है। रिपोर्ट में आंकी गई मांग के अनुसार भूमि अधिग्रहण करने का प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

मद सं0-33.14

विषय: हरिद्वार महायोजना के सर्वेक्षण (एम.डी.डी.ए. पैटर्न) के सम्बन्ध में।

प्राधिकरण की 29वीं बोर्ड बैठक दि0 21-12-99 में हरिद्वार महायोजना के पुनरीक्षण के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया था कि महायोजना के पुनरीक्षण का कार्य प्रारम्भ करवा दिया जाय। उक्त कार्य हेतु नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग उ.प्र.को अभिकरण घोषित करते हुए निर्णय लिया गया कि वर्ष 2001 के उपरान्त नवीन महा योजना लागू होने तक वर्तमान महायोजना ही प्रभावी रहेगी। उक्त महायोजना पुनरीक्षण हेतु आधार मानचित्र तैयार करने के सम्बन्ध में देहरादून स्थित रिमोट सेन्सिंग संस्थान से सम्पर्क स्थापित करने पर उनके पत्र दि0 22-12-2000 द्वारा हरिद्वार का आधार मानचित्र 1:12000 के स्केल पर उपलब्ध कराये जाने हेतु रू0 8.03 लाख की मांग की गयी थी।

दि0 4-4-2000 को प्रमुख सचिव एवं आयुक्त अवस्थापना एवं पर्यटन विकास उत्तराँचल की अध्यक्षता में नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन, भारत सरकार एवं अन्य के साथ हुई बैठक में प्रमुख सचिव महोदय द्वारा प्रभारी अधिकारी, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तराँचल को हरिद्वार, देहरादून तथा दूनघाटी विकास प्राधिकरणों की महा योजना तैयार किये जाने हेतु अभिकरण घोषित करने का निर्णय लिया गया। इसी क्रम में शासनादेश सं0-1017/आ/

Scanned by CamScanner

अभि0-2001-105(आ)-2001 दि0 14-5-2001 को प्राप्त हो चुका है। इसी प्रकार शासनादेश सं0-1019/आ/अभि0-2001-105(आ)/2001 दि0 14-5-2001 द्वारा हरिद्वार महायोजना की अवधि नई महायोजनाएँ तैयार होने तक बढ़ा दी गई है।

उक्त बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि महायोजना हेतु भौतिक सर्वेक्षण का कार्य नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तरांचल के प्रभारी अधिकारी के निर्देशन में प्राधिकरण स्तर से प्राथमिकता पर उन क्षेत्रों का जो सधन निर्मित (कोर) तथा सेमी बिल्टअप संभावित क्षेत्रों का संज्ञान कर प्राधिकरण द्वारा कराया जाये तथा भौतिक सर्वेक्षण कार्य प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित सर्वेक्षण कर्ता से तुरन्त प्रारम्भ कराया जाय।

दि0 28-5-2001 को प्रभारी अधिकारी, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तरांचल से विकास प्राधिकरण के नगर नियोजक के सम्पर्क करने पर उनके द्वारा सुझाव दिया गया कि रिमोट सेंसिंग संस्थान द्वारा सैटेलाईट इमेजरी के माध्यम से उपलब्ध कराया जाने वाला 1:12000 स्केल का मानचित्र महायोजना पुनरीक्षण हेतु पर्याप्त नही होगा तथा इसमें अत्यधिक समय लगने की सम्भावना है (लगभग 1-1.5 वर्ष) महायोजना कार्य हेतु 1:2000 तथा 1:4000 स्केल के मानचित्रों की आवश्यकता होगी। अत: उचित होगा कि देहरादून विकास प्राधिकरण की भाँति टेण्डर आमन्त्रित कर सर्वेक्षण कर्ता का चयन कर कार्य प्रारम्भ करा दिया जाय। प्रभारी अधिकारी, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग देहरादून से हुई चर्चा के उपरान्त उनके द्वारा सर्वेक्षण किये जाने हेतु लगभग 8100 हेक्टेयर भूमि को तीन चरणों में सर्वेक्षण किये जाने हेतु सुझाव दिया गया तथा उक्त महायोजना मानचित्र में भी अंकित किया गया है। उपरोक्त कुल भूमि में लगभग 7000 हेक्टेयर भूमि सर्वेक्षण कार्य तुरन्त प्रारम्भ कराया जाना आवश्यक है तथा उक्त कार्य में लगभग रू0 25.00 लाख खर्च होने का उम्मीद है। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण से टेण्डर का प्रारूप प्राप्त कर तद्नुसार टेण्डर डाक्यूमेन्ट तैयार की गयी है। सचिव, हरिद्वार विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में निम्न टेण्डर समिति का गठन किया जाना प्रस्तावित है:-

1. प्रभारी अधिकारी, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग देहरादून — सदस्य
2. वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी ह0वि0प्रा0 — सदस्य
3. नगर नियोजक, ह0वि0प्रा0 — सदस्य

दि0 8 जून 2001 को जिलाधिकारी, हरिद्वार की अध्यक्षता में हरिद्वार की संगठित विकास योजना की मास्टरप्लान प्रस्तुतिकरण की बैठक में हरिद्वार की पुनरीक्षित होने वाली महायोजना हेतु सर्वेक्षण के सम्बन्ध में चर्चा के दौरान प्रभारी अधिकारी, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तरांचल द्वारा सुझाव दिया गया कि हरिद्वार महायोजना मानचित्र तथा स्थलीय निरीक्षण उनके द्वारा कर लिया गया है। सर्वेक्षण का कार्य समाचार पत्रों के माध्यम से

Scanned by CamScanner

आमन्त्रित कर कराया जा सकता है, जिसमें लगभग रू0 25.00 लाख व्यय होने का अनुमान है तथा लगभग 6 माह में सर्वेक्षण कार्य पूर्ण किया जा सकता है हवाई सर्वेक्षण कराये जाने पर समय तथा धनराशि अधिक व्यय होने की सम्भावना है। बैठक में उक्त से सम्बन्धित एजेण्डा प्राधिकरण की आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया। प्रस्ताव प्राधिकरण के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

मद सं0-33.15

विषयः मण्डप/वेडिग प्वाइन्ट के निर्माण मानकों के सम्बन्ध में।

नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तरॉचल से प्राप्त पत्रांकः125 दि0 19-5-2001 के द्वारा मण्डम/वेडिग प्वाइंट के निर्माण हेतु मानक निर्देशिका प्राप्त हुई है। यह अपेक्षा की गई है कि उसे प्राधिकरण बोर्ड बैठक में विचारोपरान्त अंगीकृत करने की कार्यवाही की जाय। इस सम्बन्ध में महायोजना भू-उपयोग एवं अनुज्ञा शुल्क/सुधार शुल्क के सम्बन्ध में विचार करना अभीष्ट होगा।

तद्नुसार प्रस्ताव प्राधिकरण में विचारार्थ प्रस्तुत है।

मद सं0-33.16

विषयः केन्द्रीय जल आयोग को रू0 8.86 लाख के ब्याज की छूट के सम्बन्ध में ।

भारत सरकार, केन्द्रीय जल आयोग, देहरादून द्वारा प्राधिकरण की श्यामलोक आवासीय योजना में ग्रुप हाउसिंग के दो भूखण्डों (3000.00 वर्गमी0) को लेने हेतु माह सितम्बर 1998 में कार्यवाही प्रारम्भ की गयी थी। जल आयोग द्वारा पंजीकरण एवं आवंटन राशि रू0 12,60,000.00 प्राधिकरण कोष में दि0 15-3-99 को जमा कराकर आवंटन कराया गया था। अवशेष भूखण्ड मूल्य की धनराशि रू0 57,96000.00 (फ्री-होल्ड शुल्क सहित) जो कि दि0 25-6-99 तक जमा कराना था। केन्द्रीय जल आयोग द्वारा उक्त धनराशि रू0 57,96000.00 दि0 30-3-2000 को चैक द्वारा प्राधिकरण में जमा करायी गयी। उक्त चैक सम्बन्धित विभाग के बैंक द्वारा बिना भुगतान लौटा दिये जाने के कारण यह धनराशि प्राधिकरण के खाते में दि0 27-4-2000 को जमा हुई थी। अतः बिलम्ब अवधि पर नियमावली के सामान्य नियमों के अनुसार 18 प्रतिशत ब्याज रू0 8,86,550.00 की मांग विभाग से की गयी। जिसको माफ करने का निवेदन सम्बन्धित विभाग द्वारा किया गया ओर भूमि की रजिस्ट्री/कब्जा कार्यवाही कराने का अनुरोध किया गया।

अतः केन्द्रीय जल आयोग द्वारा उक्त ब्याज की छूट का प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत है।

Scanned by CamScanner

माध्यम से 7000 हेक्टेयर भूमि का सर्वेक्षण कार्य तुरन्त प्रारम्भ करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया तथा इस कार्य हेतु रू0 25.00 लाख व्यय किये जाने पर स्वीकृति प्रदान की गयी। सचिव, ह0वि0प्रा0 की अध्यक्षता में निम्न टेण्डर समिति पर सहमति प्रदान की गई :

1. प्रभारी अधिकारी, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, देहरादून — सदस्य
2. वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, ह.वि.प्रा. — सदस्य
3. नगर नियोजक, ह.वि.प्रा0 — सदस्य

मद सं0-33.15: मण्डप/वेडिग प्वाइन्ट के निर्माण मानकों के सम्बन्ध में।

नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तरांचल से प्राप्त मण्डप/वेडिंग प्वाइंट के निर्माण हेतु मानक निर्देशिका पर चर्चा के दौरान प्रभारी अधिकारी नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त प्रयोग की अनुमति महायोजना में दर्शित वर्तमान निर्मित क्षेत्र, प्रस्तावित आवासीय, सामुदायिक सुविधाएँ तथा नगरीय वाणिज्य केन्द्र भू-प्रयोग में ही प्रदान की जाय तथा विकास शुल्क शुल्क की दरें प्राधिकरण द्वारा निर्धारित व्यवसायिक दरों पर ही वसूल की जाय। हरिद्वार विकास प्राधिकरण द्वारा उपरोक्त संशोधनों को समावेशित करते हुए मानक निर्देशिका को सर्वसम्मति से अंगीकृत किया गया।

मद सं0-33.16: केन्द्रीय जल आयोग को रू0 8.86 लाख के ब्याज की छूट के सम्बन्ध में।

केन्द्रीय जल आयोग, भारत सरकार द्वारा प्राधिकरण की श्यामलोक आवासीय योजना में आवंटित ग्रुप हाउसिंग के भूखण्डों पर आरोपित विलम्ब अवधि की ब्याज रू0 8,86,550.00 माफ किये जाने के प्रकरण पर प्राधिकरण द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त उपरोक्त ब्याज की छूट प्रदान किये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

Secretary 20/6/2009 Vice Chairman Chairman/Commissoner

Scanned by CamScanner

मद सं0-33.17

विषयः प्राधिकरण की योजनाओं में व्यावसायिक/आश्रम सम्पत्तियों के निस्तारण के सम्बन्ध में ।

हरिलोक आवासीय योजना में 636 वर्ग मी0 भूमि व्यावसायिक/होटल हेतु जिसकी दर रू. 3475.00 प्रति वर्ग मी. तथा श्यामलोक आवासीय योजना में 2685 वर्ग मी0 भूमि होटल हेतु जिसकी दर रू. 5350.00 प्रति प्रति वर्ग मी0 है तथा एक आश्रम भूखण्ड जिसकी दर रू0 2800.00 प्रति वर्ग मी0 है उपलब्ध है।उक्त व्यावसायिक होटल/आश्रम भूखण्ड जो वर्ष 1996-97 से काफी प्रयासों के पश्चात भी निस्तारित नही हुई है। इनको विक्रय करने हेतु दि0 2-11-99, 4-12-99, 15-7-99, 5,14,16,19,21 मई 2000 तथा 6-6-2000, 23-7-2000, 7-12-2000 18-1-2001 एवं 10-2-2001 में राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन दिये जा चुके हैं किन्तु उपरोक्त सम्पत्ति निस्तारण में सफलता नही मिली। इसका कारण सम्भवतयः भूमि का अधिक मूल्य एवं ब्याज वृद्धि हो सकता है। अतः उक्त सम्पत्तियों के निस्तारण हेतु श्यामलोक के आश्रम भूखण्ड को आवासीय तथा होटल के भूखण्ड को आदि एवं हरिलोक के भूखण्ड को नर्सिग होम आदि में परिवर्तित करते हुए निस्तारण हेतु प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष सुझाव/दिशा-निर्देश हेतु प्रस्तुत है।

मद सं0-33.18

विषयः आई.ओ.सी.पेट्रोल पम्प के विचाराधीन वाद सं0-552/99-2000 के शमन के सम्बन्ध में।

उल्लिखित स्थल पर प्राधिकरण की स्वीकृति से पूर्व पैट्रोल पम्प फिलिंग स्टेशन के अनधिकृत निर्माण कार्य प्रगति पर होने के कारण उ0प्र0नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 27/28 के अन्तर्गत निर्माण कर्ता श्री महेन्द्र महन्त के विरूद्ध कार्यवाही की गयी थी, प्रश्नगत स्थल, जिसका क्षेत्रफल 1674 वर्ग मी0 है, मै0 इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि0 द्वारा श्री जोगेन्द्र दास महन्त से लीज पर लिया हुआ है और इसको नियमित करने हेतु इण्डियन आयल कार्पोरेशन द्वारा अनुरोध किया गया है। चूँकि प्रश्नगत स्थल हरिद्वार महायोजना में कृषि हरित पट्टी के अन्तर्गत प्रदर्शित है महायोजना के प्रखण्डीय विनियमों के अनुसार तथा भवन उपविधि के प्रस्तर 68 के अनुसार प्रज्जवलनशील सामान के भण्डार (पेट्रोल पम्प) के स्थानों की अनुमति विशेष परिस्थितियों में प्राधिकरण द्वारा दी जा सकती है। अतः प्रकरण को प्राधिकरण बोर्ड बैठक में रखना अति आवश्यक है। जिलाधिकारी महोदय हरि. के पत्र दि0 28-1-2000 से स्पष्ट है कि प्रश्नगत निर्माण से सम्बन्धित अनापत्ति प्रमाण-पत्र (लोक निर्माण विभाग, अग्निशमन अधिकारी हरिद्वार, संयुक्त मुख्य विष्फोटक नियन्त्रक) मैसर्स इण्डियन आयल कार्पोरेशन द्वारा पूर्व में प्राप्त कर लिये गये हैं। प्रश्नगत अवैध निर्माण चूँकि व्यावसायिक प्रकृति का है जो अनाधिकृत निर्माण सम्बन्धी अपराध विषयक शमन उपविधि 1998 के नियम सं0-5 के पैरा(1) के सब पैरा(3) के अन्तर्गत शमनीय है। इसके अतिरिक्त विकास शुल्क, अम्बार शुल्क, सुपरविजन शुल्क भी जमा कराया जाना प्रस्तावित है।

Scanned by CamScanner

मद सं0-33.17: प्राधिकरण की योजनाओं में व्यावसायिक/आश्रम सम्पत्तियों के निस्तारण के सम्बन्ध में।

बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि सम्पत्तियों के निस्तारण के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण प्रस्तुत करते हुए इसे परिचालन विधि से शीघ्र अनुमोदित कराया जाय।

मद सं0-33.18: आई.ओ.सी. पेट्रोल पम्प के विचाराधीन वाद सं0-552/99-2000 के शमन के सम्बन्ध में।

बोर्ड द्वारा इस सम्बन्ध में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रश्नगत प्रकरण में मार्गदर्शक (गाईड लाइन्स) मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक के कार्यालय से शीघ्र प्राप्त कर अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

मद सं0-33.19: ऋषिकेश माडर्न स्कूल ढालवाला के मानचित्र सं0-145/99-2000 की स्वीकृति की पुष्टि के के सम्बन्ध में।

बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से मानचित्र स्वीकृति की पुष्टि की गयी । प्रकरण समाप्त किया गया ।

मद सं0-33.20: हरिद्वार-देवपुरा-होटल के मानचित्र सं0-145/99-2000 की स्वीकृति की पुष्टि के के सम्बन्ध में।

बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से मानचित्र स्वीकृति की पुष्टि की गयी । प्रकरण समाप्त किया गया ।

मद सं0-33.21: दूरसंचार केन्द्र देहरादून के विचाराधीन वाद सं0(नो0ऋषि)-6/96-97 एवं नो-ऋषि-21/94-95 में शमन शुल्क के सम्बन्ध में।

अधिशासी अभियन्ता दूरसंचार द्वारा दि0 30-1-96 को प्रस्तुत शमन मानचित्र सम्यक् विचारोपरान्त सर्वसम्मति अस्वीकृत कर दिया गया। अतएव यह निर्णय हुआ है कि रू0 2.26 लाख शमन शुल्क दूरसंचार विभाग से यथाशीघ्र वसूल की जाय।

Secretary 20/9/2004 Vice Chairman Chairman/Commissoner

Scanned by CamScanner

अतः प्रकरण प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

मद सं0-33.19

विषयः ऋषिकेश माडर्न स्कूल ढालवाला के मानचित्र सं0-145/99-2000 की स्वीकृति की पुष्टि के सम्बन्ध में।

प्रधानाचार्य द्वारा ढालवाला में मॉडर्न स्कूल इन्स्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलोजी स्थापित करने के उद्देश्य से भवन निर्माण हेतु मानचित्र सं0-145/99-2000 कार्यालय में प्रस्तुत किया गया ऋषिकेश महायोजना में प्रश्नगत स्थल का भू-उपयोग औद्योगिक होने के कारण मानचित्र अस्वीकृत कर दिया गया है। आवेदक द्वारा स्थल का भू-उपयोग औद्योगिक होने के फलस्वरूप तकनीकी संस्थाओं हेतु निर्माण की स्वीकृति प्राधिकरण बोर्ड द्वारा विशेष परिस्थितियों में दिये जाने का उल्लेख करते हुए मानचित्र पुनः स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया। आवेदन को स्वीकार करते हुए बोर्ड की बैठक की प्रत्याशा में समिति गठित करते हुए समिति की आख्या को अध्यक्ष/आयुक्त, ह0वि0प्रा0 का अनुमोदन दि0 9-7-2000 को प्राप्त करते हुए उक्त मानचित्र पर स्वीकृति प्रदान की गयी है।

अतः पुष्टि अपेक्षित है।

मद सं0-33.20

विषयः हरिद्वार-देवपुरा-होटल के मानचित्र सं0-265/2000-2001 के अनुमोदन की पुष्टि के सम्बन्ध में।

महन्त कुलवन्तसिंह, डेरा शेखवा, मायापुर हरिद्वार द्वारा होटल, व्यवसायिक एवं कार्यालय का मानचित्र सं0-265/2000-01 दि0 12-10-2000 को प्राधिकरण में प्रस्तुत किया गया था। महायोजना में निहित प्राविधानों के अनुसार इस स्थल का भू-उपयोग 'जी' है जिसमें होटल एवं व्यावसायिक निर्माण की अनुमति प्राधिकरण सभा द्वारा विशेष परिस्थितियों में प्रदान की जाती थी। परन्तु शासनादेश सं0-243 दि0 31-1-98 द्वारा महायोजना के इस प्राविधान को पुनः संशोधित कर दिया गया है। जिसमें आरक्षित जोन 'जी' राजकीय एवं अर्द्धराजकीय कार्यालय में होटल एवं व्यावसायिक निर्माण को स्वीकार्य भू-उपयोग की श्रेणी में कर दिया गया है। अतः प्रस्तुत मानचित्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जा सकता है। चूँकि शासन के निर्देश के अनुपालन में मानचित्र का निस्तारण 90 दिन के अन्तर्गत करना होता है। अतः अध्यक्ष, ह0वि0प्रा0 के अनुमोदन उपरान्त मानचित्र स्वीकृत किया जा चुका है।

अतः पुष्टि अपेक्षित है।

Scanned by CamScanner

मद सं0-33.21

विषयः दूरसंचार केन्द्र देहरादून के विचाराधीन वाद सं0(नो0 ऋषि0)-6/96-97 एवं नो-ऋषि-21/94-95 में शमन शुल्क की छूट के सम्बन्ध में।

दूर संचार विभाग देहरादून द्वारा विकास क्षेत्र ऋषिकेश में बिना प्राधिकरण की पूर्व स्वीकृति लिये भूतल पर लगभग 17.65 गुना 12.90 मी0 तथा भूतल पर एक कमरे एवं बरामदे का अनाधिकृत निर्माण किये जाने पर नियमानुसार धारा 27/28 की नोटिस जारी किये गये। अधिशासी अभियन्ता दूर संचार द्वारा दि0 30-7-96 के द्वारा शमन मानचित्र जमा करते हुए वाद शमन करने हेतु अनुरोध किया गया। विभाग की प्रार्थना स्वीकार करते हुए वाद शमन करने की कार्यवाही की गयी ओर पत्र दि0 5-9-96 के द्वारा शमन शुल्क रू0 226128.00 तथा विकास शुल्क रू0 111611.00 कुल रू0 337739.00 प्राधिकरण कोष में जमा कराने हेतु सूचित किया गया। विभाग द्वारा दि0 20-11-96 में विकास शुल्क जमा करा दिया गया था, परन्तु शमन शुल्क जमा नही किया गया है तथा शमन शुल्क को माफ किये जाने का अनुरोध, दूरभाष विभाग के 52सी क्लॉज का हवाला देते हुए माफ किये जाने का अनुरोध किया गया है। चूँकि दूरसंचार विभाग द्वारा उ.प्र.नगर योजना विकास अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत बिना स्वीकृति प्राप्त किये निर्माण किया गया अतः सन्दर्भित धारा 52(ग) का लाभ विभाग को नहीं मिल सकता है।

अतः प्रस्ताव है कि दूरसंचार विभाग से शमन शुल्क लिया जाना ही प्राधिकरण हित में होगा। प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत है।

मद सं0-33.22

विषयः औ0क्षेत्र बहादराबाद में यू.पी.एस.आई.डी.सी.द्वारा विकसित आवासीय योजना के तलपट मानचित्र की स्वीकृति में विकास एवं अन्य शुल्क निगम से न लेने के सम्बन्ध में।

औ0क्षेत्र बहादराबाद में यू.पी.एस.आई.डी.सी. द्वारा विकसित आवासीय योजना के तलपट मानचित्र के नियमितीकरण में कुल देय शुल्क रू0 6284950.00 जमा कराने हेतु सूचित किया गया है। यू.पी.एस.आई.डी.सी.के प्रबन्ध निदेशक द्वारा अपने पत्र दि0 8-5-2001 में अवगत कराया गया है कि योजना के सभी भूखण्डों का आवंटन पूर्व में ही किया जा चुका है ओर अब अन्य शुल्क लिया जाना सम्भव नही है। अतः उचित होगा कि उपरोक्त शुल्क मानचित्र स्वीकृत करते हुए भू-खण्ड धारक से वसूल कर लिया जाय। जिसकी दर रू0 130.00 प्रति वर्ग मी0 आती है। आन्तरिक विकास कार्य निगम द्वारा किये जा चुके है। योजना का क्षेत्रफल 5.277 हेक्टेयर है, जिससे कुल देय शुल्क रू0 6284950.00 की प्रतिपूर्ति सम्बन्धित आवंटियों से की जायेगी । प्रस्ताव विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

Scanned by CamScanner

33 वीं बैठक दिनांक-15-6-2001

मद सं0-33.22: औ0क्षेत्र बहादराबाद में यू.पी.एस.आई.डी.सी.द्वारा विकसित आवासीय योजना के तलपट मानचित्र की स्वीकृति में विकास एवं अन्य शुल्क निगम से न लेने के सम्बन्ध में।

औद्योगिक क्षेत्र बहादराबाद में यू.पी.एस.आई.सी द्वारा 5.277 हेक्टेयर क्षेत्रफल पर विकसित आवासीय योजना का आवंटन निगम द्वारा बिना प्राधिकरण की स्वीकृति प्राप्त किये ही कर दिया गया था। उक्त तलपट मानचित्र के नियमितीकरण हेतु कुल देय शुल्क रू0 6284950.00 प्राधिकरण कोष में जमा कराये जाने हेतु निगम को सूचित किये जाने पर उनके प्रबन्ध निदेशक द्वारा अवगत कराया गया कि योजना के सभी भूखण्डों का आवंटन पूर्व में ही किया जा चुका है और अब अन्य शुल्क लिया जाना सम्भव नहीं है। प्रस्ताव पर विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि भूखण्ड धारकों से भवन मानचित्र स्वीकृति के समय रू0 130.00 प्रति वर्ग मी0 की दर से विकास शुल्क लिया जाय।

मद सं0-33.23: हर की पैडी पर लिफ्ट की योजना

हर की पैडी पहाडी पर लिफ्ट की योजना कार पार्किंग, रेस्टोरेन्ट व लाँज आदि बनाने विषयक प्रस्ताव पर श्री राममूर्ति वीर गैर सरकारी सदस्य द्वारा सुझाव दिया गया कि कथित पहाड कच्चा है वर्षा ऋतु में इससे भूस्खलन होने की आशंका हो सकती है। इस पर अध्यक्ष/आयुक्त ने निर्देश दिया कि उक्त स्थल का जी.एस.आई. तथा का रूड़की विश्वविद्यालय की भूगर्भ अभियान्त्रिकी विभाग द्वारा जाँच कराने के उपरान्त ही इस सम्बन्ध में अग्रिम कार्यवाही की जाय।

मद सं0-33.24: प्राधिकरण के सम्पत्ति अनुभाग तथा लेखानुभाग कम्प्यूटरीकरण कराया जाना ।

निर्णय लिया गया कि इस सम्बन्ध में किसी सक्षम एजेन्सी द्वारा एक विस्तृत प्रोजेक्ट तैयार कर आगामी बैठक में लाया जाय।

Secretary 21/6/2001 Vice Chairman Chairman/Commissoner

Scanned by CamScanner

मद सं0-33.23

विषयः हर की पैडी पर लिफ्ट की योजना

दि0 31-3-2001 को सम्पन्न हुई हरिद्वार विकास प्राधिकरण की 31वीं बोर्ड बैठक के मद सं0-7 पर यह प्राविधान किया गया था कि हिल बाईपास से हर की पैड़ी को जोड़ने के लिए पार्किंग की व्यवस्था हिलबाईपास पर करते हुए एक एलीवेटर लगाने का प्रोजेक्ट तैयार किया जाये, ताकि वाहनों की पार्किंग हर की पैड़ी से दूर हो सके एवं वी.आई.पी. तथा यात्री सुगमता से लिफ्ट का प्रयोग करके हर की पैड़ी पहुँच सकें। इस योजना के क्रियान्वयन से हर की पैड़ी को पूर्णतः जीरो-जोन बनाया जा सकेगा। प्राधिकरण द्वारा यह निर्णय लिया गया कि यह योजना शीघ्र ही प्राधिकरण द्वारा तैयार की जाये तथा इसका अनुमोदन अध्यक्ष/आयुक्त महोदय से प्राप्त कर योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये। इस योजना हेतु धन की व्यवस्था अवस्थापना निधि मद से की जायेगी।

तत्पश्चात दि0 29-12-2000 को पूर्व उपाध्यक्ष द्वारा यह प्रस्तावित किया गया था कि इस योजना को ज्वाइंट वेंचर के माध्यम से बी.ओ.टी.पद्धति पर क्रियान्वित किया जावे तथा पार्किंग के साथ-साथ एक रेस्टोरेन्ट एवं लॉज आदि का निर्माण भी प्रस्तावित किया गया है। इस आशय का एक विज्ञापन अमर उजाला के दि0 23-2-2001 के अंक में प्रकाशित कराया गया, जिसमें लिफ्ट के साथ-साथ रेस्टोरेन्ट, लॉज आदि बनाना भी सम्मिलित है। इस विज्ञापन के सापेक्ष तीन फर्मो के द्वारा निम्नानुसार प्रस्ताव प्राप्त हुये:-

1 शिप्रा एस्टेट रू0 140.00 लाख 15 वर्ष की अवधि
2 मै0 दीपक कन्स्ट्रक्शन रू0 135.00 लाख 14 वर्ष की अवधि
3 श्री संजय माहेश्वरी रू0 160.00 लाख 30 वर्ष की अवधि

दि0 31-12-2001 की बैठक में इस योजना पर व्यय अवस्थापना निधि मद से किये जाने का निर्णय लिया गया था, परन्तु पूर्व उपाध्यक्ष के प्रस्ताव दि0 29-12-2000 के अनुसार इस योजना को ज्वाइंट वेन्चर के माध्यम से बी.ओ.टी.पद्धति से कराये जाने का प्रस्ताव किया गया था, जिस पर आयुक्त महोदय द्वारा दि0 25-1-2001 को स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। प्राधिकरण द्वारा अपने पत्र दि0 30-5-2000 को दीपक कन्स्ट्रक्शन क0 से विस्तृत प्रोजेक्ट, मानचित्र, अनुभव प्रमाण पत्र एवं फर्म के पंजीकरण सम्बन्धी अभिलेख एवं तीन वर्ष की आयकर रिटर्न आदि की मांग की गयी है। प्रकरण बोर्ड के समक्ष ज्वाइंट वेंचर के माध्यम से बी.ओ.टी.पद्धति से कराने हेतु विचार-विमर्श उपरान्त निर्णय हेतु प्रस्तुत है।

Scanned by CamScanner

33 वीं बैठक-दिनांक 15-6-2011

मद सं0–33.24

विषय: प्राधिकरण के सम्पत्ति अनुभाग तथा लेखानुभाग का कम्प्यूटरीकरण कराया जाना ।

प्राधिकरण के सम्पत्ति अनुभाग एवं लेखानुभाग के कार्यो को कम्प्यूटरीकरण किया जाना आवश्यक है। इससे कार्यो में गतिशीलता एवं गुणवत्ता में भी वृद्धि होगी तथा पारदर्शिता भी रहेगी। इस सम्बन्ध में आवश्यक सिस्टम डिजाईन स्टडी, हार्डवेयर क्रय करने के साथ-साथ टेलर मेड साफ्टवेयर तैयार कराने होंगे तथा समुचित ट्रेनिंग भी आवश्यक है। इसके साथ-साथ समुचित वातानुकूलित वर्क स्पेस भी तैयार कराये जाने होंगे। इसके अतिरिक्त प्राधिकरण की एक बेब साइट भी तैयार करायी जानी वाँछित है। इसके साथ-साथ बेबसाइट के स्मूथ रनिंग हेतु एक आई.एस.डी.एन. लीज लाइन कनेक्शन भी आवश्यक होगा । अनुमानतः इन कार्यो हेतु प्रारम्भिक चरण में रू. 10.00 लाख का व्यय अनुमान है।

वर्तमान में प्राधिकरण में कम्प्यूटर सम्बन्धी सम्यक स्टाफ उपलब्ध नही है। अतः आवश्यक होगा कि इन समस्त कार्यो को टर्न-की बेसिस पर पूर्ण करने, नियमित डेटा इन्ट्री तथा अपग्रेडेशन, अपलोडिंग एवं मेन्टीनेन्स के लिए किसी सक्षम संस्था का चयन किया जाय। आवश्यकतानुसार इस सम्बन्ध में आवश्यक तकनीकी परामर्श जिला अभिसूचना केन्द्र/रूड़की विश्वविद्यालय से किया जाना प्रस्तावित है। तद्नुसार प्रकरण प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

Scanned by CamScanner

अन्य बिन्दु अध्यक्ष महोदय की अनुमति से-

श्री राममूर्ति वीर, गैर सरकारी सदस्य द्वारा निम्न सुझाव दिये गये-

1. डामकोठी से सिंहद्वार नहर की पटरी का सौन्दर्यीकरण करते हुए फुब्बारे, बेन्च बनाये जायें इस पर उपाध्यक्ष, ह.वि.प्रा. ने सुझाव दिया कि सौन्दर्यीकरण प्रक्रिया को पूर्ण करने से पूर्व उक्त मार्ग पर साइकिल रिक्शा, स्कूटर आदि का चलना बन्द किया जाय क्योंकि इससे भ्रमणकारियों को दुर्घटना का सतत भय बना रहता है।

2. पुराने विकसित शहर में सीवर का लाइन बिछाने की कार्यवाही के लिए गंगा प्रदूषण नियन्त्रण इकाई द्वारा यह योजना द्वितीय चरण में शामिल की गयी है। अत: कार्यवाही गंगा प्रदूषण नियन्त्रण इकाई द्वारा किया जाना है।

3. विष्णुघाट पर सुलभ शौचालय के सम्बन्ध में उनके सुझाव से सहमत होते हुए निर्णय लिया गया कि सम्बन्धित विभाग द्वारा भूमि उपलब्ध होने पर एच.डी.ए. द्वारा निर्माण किया जायेगा।

4. ऋषिकेश व मुनिकीरेती नगर पंचायतों के अध्यक्षों द्वारा प्रस्तुत सुझाव के सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया कि उपाध्यक्ष, ह.वि.प्रा. ऋषिकेश में सभी सम्बन्धित व्यक्तियों के साथ एक बैठक कर स्थल पर ही समस्या का समाधान किया जायेगा।

अन्त में उपाध्यक्ष, ह.वि.प्रा. द्वारा अध्यक्ष महोदय का विशेष आभार व्यक्त किया कि अपने व्यस्तम् कार्यक्रमों में से समय निकालने हुए प्राधिकरण की बोर्ड बैठक हेतु समय प्रदान किया। बैठक में अन्य उपस्थित माननीय सदस्यों का भी आभार व्यक्त करते हुए अध्यक्ष महोदय द्वारा बैठक समाप्त की गयी।

Secretary 20/6/2016 Vice Chairman Chairman/Commissoner

Scanned by CamScanner